¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ

VÉxÉ 2014

]ÉÉvÉ ºÉ¨{ÉÉnEò
®PÉ´ÉÉå® ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É

ºÉ¨Éx´ÉªÉ
ºÉÉ®¶É ÊiÉ´ÉÉ®Ò

ºÉ¨{ÉÉnEò
®ÉVÉÒ´É ÊiÉ´ÉÉ®Ò

={É ºÉ¨{ÉÉnEò
®VÉxÉÉ ÉSÉiÉ±É

+ÉEò±{ÉxÉ
+É±ÉÉEòÉ ¨É{ÉiÉÉ
Ê´ÉxÉªÉ ¶ÉEò®Ò ®ÉªÉ

´ÉÉ¤ºÉÉ<]
+Éi¨ÉÉ®É¨É ¶É¨ÉÉ

Eò¨{ÉÉVÉÆMÉ
+±{ÉxÉÉ ®É`É®

BEò |ÉÊiÉ : ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉ
´ÉÉÊ¹ÉEò : nÉ ºÉÉ ¯û{ÉªÉ

ºÉ¨{ÉEò
¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ
¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉEò IÉäjÉ, +®Éä®É Ë½±É
¦ÉÉä{ÉÉ±É-462011
¡òÉäxÉ : 2764742, 2551330
¡èòCºÉ : 0755-4228409

EòÉ¶ÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¶ÉÖ±EòÉ Eò ±ÉB +{ÉxÉÉ bÉ}]/
¨ÉxÉÒ+Éb® ¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉä{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉå*

¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ ¨É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ±ÉJÉÉå Eò +{ÉxÉ ½,
<ºÉºÉ ±ÉäJÉ ºÉ¨{ÉÉnEòÒ ºÉ½¨ÉiÉ ½ÉxÉÉ +ÉÊ´ÉÉªÉÇ xÉ½Ó ½è*

<ºÉ +Eò ¨É

भारत के पन्द्रहवें प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी

विजय के क्षण

विशेष : श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला 3

मर्यादा : सम्मान स्वच्छता स्वाभिमान की सुरक्षा 10

समग्र स्वच्छता : निर्मल भारत अभियान 13

प्रयास : समुदाय की सशक्त भागीदारी जरूरी 22

समस्या-समाधान : निर्मल भारत अभियान समग्र समाधान 25

पंचायत : निर्मल भारत अभियान में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका 28

प्रयास : खुले में शौच से मुक्ति के लिए 30

पहल : पाँच की पाठशाला : साबुन से हाथ धोने को बढ़ावा 34

प्रगति : निर्मल विद्यालय पुरस्कार 38

नवाचार : सीख-समझाईश और संवाद से परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम 40

बदलाव : स्वच्छता दूत से निर्मल ग्राम निर्माण 42

गाँव की गाथा : बुधनी जनपद खुले में शौच की प्रथा से मुक्त 45

पर्यावरण : ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन 46

प्रयास : सोच में बदलाव लाना है 48

ÊIÉªÉ {ÉÉ`öEòÉ,

देश में सम्पन्न हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद 26 मई को श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। श्री मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मध्यप्रदेश के 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है इनमें श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री थावरचंद गहलोद और डॉ. नजमा हेपतुल्ला शामिल हैं। इस खबर को हमने 'विशेष' स्तंभ में प्रकाशित किया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खुले में शौच की प्रथा चलती आ रही है जिससे महिलाओं और पूरे समाज को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए खुले में शौच से मुक्ति के लिए मर्यादा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अब गाँवों में प्रत्येक घर, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों में पक्के शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी जानकारी को 'मर्यादा' स्तंभ में प्रकाशित किया जा रहा है। स्वस्थ जीवन जीना हम सभी का अधिकार है। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कि हमारे आसपास का परिवेश भी स्वच्छ हो। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत साफ-सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, मल-मूत्र का उचित निपटारा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदेश में निर्मल भारत अभियान चलाया जा रहा है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल प्रबंधन कार्य, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों में शौचालयों का निर्माण और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण कार्य में सहायता करना है। निर्मल भारत अभियान के तहत समग्र स्वच्छता, महिलाओं की मर्यादा और ग्रामीण भारत के स्वस्थ जीवन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस जानकारी को हमने 'समग्र स्वच्छता' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। निर्मल भारत अभियान और मर्यादा अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों का लाभ किस प्रकार ग्रामीणजनों को मिले और इस कार्य में कोई समस्या आने पर उसका क्या समाधान हो सकता है। इसकी जानकारी हमने 'समस्या-समाधान' स्तंभ के द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया है। निर्मल भारत अभियान तभी सफल होगा जब इसमें पंचायतें अपनी सक्रिय भागीदारी करें। प्रदेश में ग्राम पंचायतें शौचालयों के नियमित इस्तेमाल, उनके रख-रखाव, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। 'पंचायत' स्तंभ में हमने ऐसी ही कुछ ग्राम पंचायतों की जानकारी दी है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में अतुलनीय योगदान दिया है। निर्मल भारत अभियान में गाँव स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम को मजबूती देने और सामाजिक सहभागिता के लिए ग्राम स्तर पर प्रत्येक गाँव में स्वच्छता दूत की नियुक्ति की जा रही है। ये स्वच्छता दूत अपने क्षेत्रों में सभी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे। इस जानकारी को 'बदलाव' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। निर्मल भारत अभियान के तहत प्रदेश की 31 पंचायतों में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जायेगा। ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के साथ पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। इस जानकारी को 'पर्यावरण' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। सीहोर जिले की बुधनी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने के प्रयास हो रहे हैं जिससे अब तक 52 ग्राम पंचायतों के 129 ग्राम पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं। इस सफलता के लिए समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता पद्धति का उपयोग किया गया है। 'गाँव की गाथा' स्तंभ में इसी पद्धति की जानकारी दी गई है।

(®PÉ´ÉÒ® ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É)

श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में सार्क देशों के शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। श्री मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दक्षिण एशिया के सात शीर्ष नेताओं और मारीशस के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में श्री मोदी और उनके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। मंत्रिमंडल में मध्यप्रदेश के 4 सांसदों श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और श्री थावरचंद गहलोत को जगह मिली है। श्रीमती सुषमा स्वराज विदिशा और श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। श्री थावरचंद गहलोत और श्रीमती नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा के सदस्य हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है, उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया।

श्री राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया है जबकि श्री अरुण जेटली वित्त मंत्रालय के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय को भी देखेंगे। उन्हें कारपोरेट मामलों का प्रभार भी दिया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया है। श्री गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है जबकि श्रीमती मेनका गांधी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

श्री नितिन गडकरी को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय मिला है, जबकि श्री सदानंद गौड़ा को रेल मंत्री बनाया गया है। श्री रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय के साथ दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा भी मिला है। श्री रामविलास पासवान को उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों का मंत्री बनाया गया है।

श्री नरेन्द्र मोदी का मंत्रिमंडल

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की परिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित विभाग सौंपे हैं-

1.	श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले तथा किसी अन्य मंत्री को नहीं दिये गए अन्य सभी पोर्टफोलियो

कैबिनेट मंत्री

1.	श्री राजनाथ सिंह	गृह
2.	श्रीमती सुषमा स्वराज	विदेश, विदेश मामले
3.	श्री अरुण जेटली	वित्त, कॉरपोरेट मामले, रक्षा
4.	श्री एम. वेंकैया नायडू	शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन, संसदीय मामले
5.	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग
6.	श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	रेलवे
7.	सुश्री उमा भारती	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार
8.	डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला	अल्पसंख्यक मामले
9.	श्री गोपीनाथ राव मुंडे	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
10.	श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
11.	श्री कलराज मिश्र	सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग
12.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	महिला एवं बाल विकास
13.	श्री अनंत कुमार	रसायन एवं उर्वरक
14.	श्री रविशंकर प्रसाद	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कानून एवं न्याय
15.	श्री अशोक गजपति राजू पूसापति	नागरिक उड्डयन
16.	श्री अनंत गीते	भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यमिता
17.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
18.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	खनन, इस्पात, श्रम एवं रोजगार
19.	श्री जुएल उरांव	जनजातीय मामले
20.	श्री राधा मोहन सिंह	कृषि
21.	श्री थावरचंद गहलोत	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता
22.	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	मानव संसाधन विकास
23.	डॉ. हर्षवर्धन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य मंत्री

1.	जनरल वी.के. सिंह	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), विदेशी मामले, प्रवासी मामले
2.	श्री इंद्रजीत सिंह राव	आयोजना (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (स्वतंत्र प्रभार)
3.	श्री संतोष कुमार गंगवार	कपड़ा (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय मामले जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार
4.	श्री श्रीपद येस्सो नाइक	संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार)
5.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार)
6.	श्री सर्बानंदा सोनवाल	कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार)
7.	श्री प्रकाश जावडेकर	सूचना और प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय मामले
8.	श्री पीयूष गोयल	ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार)
9.	डॉ. जितेन्द्र सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग
10.	श्रीमती निर्मला सीतारमन	वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार), वित्त, कॉरपोरेट मामले
11.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	नागरिक उड्डयन
12.	श्री मनोज सिन्हा	रेलवे
13.	श्री निहालचंद	रसायन एवं उर्वरक
14.	श्री उपेंद्र कुशवाहा	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
15.	श्री राधाकृष्णन पी	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यमिता
16.	श्री किरण रिजिजू	गृह मामले
17.	श्री कृष्णपाल	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग
18.	डॉ. संजीव कुमार बालयान	कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
19.	श्री मनसुखभाई धानजीभाई वसावा	जनजातीय मामले
20.	श्री राव साहेब दादाराव दानवे	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
21.	श्री विष्णु देव साई	खनन, इस्पात, श्रम एवं रोजगार
22.	श्री सुदर्शन भगत	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। श्री चौहान ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मध्यप्रदेश को मिला प्रतिनिधित्व प्रदेश के विकास में और तेजी लाएगा। अब विकास कार्यक्रमों में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने श्री मोदी के नेतृत्व में गठित केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

प्रदेश के विकास में केन्द्र सरकार का भरपूर योगदान लें

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने में केन्द्र सरकार का भरपूर योगदान लें। केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रदेश के लंबित मुद्दों पर तुरन्त तैयारी करें। प्रदेश के विकास के लिये तत्काल पहल करें। यह बात मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 27 मई को भोपाल में मंत्रालय में मंत्रीगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर केन्द्र से सहयोग अपेक्षित है, उन पर सभी मंत्री अपने-अपने विभागों में तैयारी करवायें। विभागीय मंत्री अगले तीन दिन में इस संबंध में अपने-अपने विभाग में बैठक लें। शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पेयजल, सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर जिनमें केन्द्र से सहयोग चाहिये, तैयारी करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतम विकास के लिये केन्द्र से लाभ मिल सकते हैं, इसे ध्यान रखकर तैयारी करें। मुख्यमंत्री स्वयं मंत्री मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। विभागीय मंत्री स्वयं भी अपने विभाग से संबंधित केन्द्रीय मंत्री से समय लेकर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में जो बाधाएँ हमने पिछले वर्षों में अनुभव की हैं और जिनकी वजह से विकास कार्यों में देरी होती है, इस संबंध में भी केन्द्र को सुझाव दे सकते हैं। साथ ही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में केन्द्र से वन एवं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति में दिक्कतें आई हैं। मनरेगा में मजदूरी तथा सामग्री के व्यय का अनुपात पचास-पचास प्रतिशत करने का सुझाव, केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने जैसे सुझाव दिये जा सकते हैं। इसी तरह के सुझाव सभी विभाग अपने-अपने यहाँ देखें। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई करें।

¨ÉvªÉ|ÉnÉ¶É Eòò ºÉ¦ÉÒ 29 ±ÉÉEòºÉ¦ÉÉ ºÉÒ]õ Eò {ÉÊ®hÉÉ¨É

भारतीय जनता पार्टी के 27 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार विजयी

मध्यप्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट के परिणाम 16 मई को जिला मुख्यालयों पर हुई मतगणना के बाद घोषित किये गये। मतगणना का कार्य सभी 51 जिला मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लोकसभा के घोषित चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने 27 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की है। इंदौर संसदीय क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार श्रीमती सुमित्रा महाजन सर्वाधिक 4 लाख 66 हजार 901 मत से विजयी रही हैं। दूसरे क्रम में विदिशा लोकसभा सीट की उम्मीदवार भाजपा की श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4 लाख 10 हजार 698 मत से विजयश्री हासिल की। सबसे कम मत से जीतने वाले उम्मीदवार सतना से भाजपा के श्री गणेश सिंह हैं, जिन्होंने 8 हजार 688 मत से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के साथ ही विदिशा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा विजयी हुई।

संसदीय क्षेत्र	विजयी उम्मीदवार	दल	प्राप्त मत	प्रतिशत	निकटतम प्रतिद्वंद्वी	दल	प्राप्त मत	प्रतिशत	अंतर
1-मुरैना	श्री अनूप मिश्रा	भाजपा	375567	43.96	श्री वृंदावन सिंह सिकरवार	बसपा	242586	28.40	132981
2-भिण्ड (अजा)	डॉ. भागीरथ प्रसाद	भाजपा	404474	55.48	श्रीमती इमरती देवी	इनेकां	244513	33.54	159961
3-ग्वालियर	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	भाजपा	442796	44.69	श्री अशोक सिंह	इनेकां	413097	41.69	29699
4-गुना	श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया	इनेकां	517036	52.94	श्री जयभान सिंह पवैया	भाजपा	396244	40.57	120792
5-सागर	श्री लक्ष्मीनारायण यादव	भाजपा	482580	54.11	श्री गोविन्द सिंह राजपूत	इनेकां	361843	40.57	120737
6-टीकमगढ़ (अजा)	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	भाजपा	422979	55.20	डॉ. कमलेश वर्मा	इनेकां	214248	27.96	208731
7-दमोह	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	भाजपा	513079	56.25	चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह	इनेकां	299780	32.87	213299
8-खजुराहो	श्री नागेन्द्र सिंह	भाजपा	474205	54.31	श्री राजा पटैरिया	इनेकां	227260	26.03	246945
9-सतना	श्री गणेश सिंह	भाजपा	375288	41.08	श्री अजय सिंह राहुल भैया	इनेकां	366600	40.13	8688
10-रीवा	श्री जनार्दन मिश्रा	भाजपा	383320	46.18	श्री सुन्दरलाल तिवारी	इनेकां	214594	25.85	168726
11-सीधी	सुश्री रीति पाठक	भाजपा	475678	48.08	श्री इन्द्रजीत कुमार	इनेकां	367632	37.16	108046
12-शहडोल (अजजा)	श्री दलपत सिंह परस्ते	भाजपा	525419	54.25	श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह	इनेकां	284118	29.34	241301

13-जबलपुर	श्री राकेश सिंह	भाजपा	564609	56.34	श्री विवेक कृष्ण तन्खा	इनेकां	355970	35.52	208639
14-मण्डला (अजजा)	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	भाजपा	585720	48.07	श्री ओमकार सिंह मरकाम	इनेकां	475251	39.00	110469
15-बालाघाट	श्री बोधसिंह भगत	भाजपा	480594	43.17	सुश्री हिना लिखीराम कांवरे	इनेकां	384553	34.54	96041
16-छिन्दवाड़ा	श्री कमलनाथ	इनेकां	559755	50.54	चौधरी चंद्रभान कुबेर सिंह	भाजपा	443218	40.02	116537
17-होशंगाबाद	श्री उदयप्रताप सिंह	भाजपा	669128	64.89	श्री देवेन्द्र पटेल गुड्डू भैया	इनेकां	279168	27.02	389960
18-विदिशा	श्रीमती सुषमा स्वराज	भाजपा	714348	66.55	श्री लक्ष्मण सिंह	इनेकां	303650	28.29	410698
19-भोपाल	श्री आलोक संजर	भाजपा	714178	63.19	श्री पी.सी. शर्मा प्रकाश मांगीलाल शर्मा	इनेकां	343482	30.39	370696
20-राजगढ़	श्री रोडमल नागर	भाजपा	596727	59.04	श्री नारायण सिंह अमलावे	इनेकां	367990	36.41	228737
21-देवास (अजा)	श्री मनोहर ऊंटवाल	भाजपा	665646	58.19	श्री सज्जन सिंह वर्मा	इनेकां	405333	35.43	260131
22-उज्जैन (अजा)	प्रो. चिंतामणि मालवीय	भाजपा	641101	63.08	श्री प्रेमचंद गुड्डू	इनेकां	331438	32.61	309663
23-मंदसौर	श्री सुधीर गुप्ता	भाजपा	698335	60.13	सुश्री मीनाक्षी नटराजन	इनेकां	394686	33.99	303649
24-रतलाम (अजजा)	श्री दिलीप सिंह भूरिया	भाजपा	545970	50.43	श्री कांतिलाल भूरिया	इनेकां	437523	40.41	108447
25-धार (अजजा)	श्रीमती सावित्री ठाकुर	भाजपा	558387	51.86	श्री उमंग सिंघार	इनेकां	454059	42.17	104328
26-इन्दौर	श्रीमती सुमित्रा महाजन (ताई)	भाजपा	854972	64.93	श्री सत्यनारायण पटेल	इनेकां	388071	29.47	466901
27-खरगोन (अजजा)	श्री सुभाष पटेल	भाजपा	649354	56.34	श्री रमेश पटेल	इनेकां	391475	33.97	257879
28-खण्डवा	श्री नंदकुमार चौहान नंदू भैया	भाजपा	717357	57.05	श्री अरुण सुभाषचंद्र यादव	इनेकां	457643	36.40	259714
29-बैतूल (अजजा)	सुश्री ज्योति धुर्वे	भाजपा	643651	61.43	श्री अजय शाह ‘मकड़ई’	इनेकां	315037	30.07	328614

भारतीय जनता पार्टी को 54 प्रतिशत और कांग्रेस को 34.9 प्रतिशत मत मिले

भावुकता और दृढ़ता से भरी शुरुआत

आचार्य चाणक्य ने राजनीति का एक सबक अपने शिष्य चन्द्रगुप्त को दिया था। "शासक के कदम कठोर हों, शब्दों में नीतियों की दृढ़ता हो लेकिन हृदय भावुकता से भरा होना चाहिए।" यही बात गीता के कुल 700 श्लोकों में अलग-अलग तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई और यही संदेश तुलसी ने मानस में दिया कि "हृदय में प्रीत किन्तु वचनों में दृढ़ता होनी चाहिए।" इन तीनों ही दार्शनिकों का सार संदेश एक है जो श्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत में दिखा। यह आत्मविश्वास और निश्‍चिंतता संसद के सेन्ट्रल हाल में उनके भाषण और प्रवेश करते वक्त उनके एक एक कदम में दिखी।

यदि श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कारक तत्वों का विश्लेषण करें तो इसका श्रेय देश और प्रदेश के ग्रामीण एवं कस्बाई मतदाताओं को जाता है। मतगणना के आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछली लोकसभा के मतदान और इस लोकसभा निर्वाचन के लिए हुए मतदान में जो मत प्रतिशत की वृद्धि हुई उसमें 6 प्रतिशत का अधिक मतदान केवल ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में हुआ इसका अर्थ स्पष्ट है कि देश के गांवों और कस्बों के नागरिकों का योगदान श्री नरेन्द्र मोदी को देश का पन्द्रहवां प्रधानमंत्री बनाने में है। इसीलिए इस क्षेत्र के नागरिकों और पंचायतों की अपेक्षाएं उनसे अधिक रहेंगी जिसकी झलक नवगठित 45 सदस्यीय मंत्रीमंडल की पहली औपचारिक बैठक में भी दिखी।

श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआत में ही यह दिखा दिया कि उनका काम दूसरों से अलग हटकर है। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेककर प्रणाम किया। आजादी के बाद से अब तक बीते इन 67 सालों में पन्द्रह लोगों ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगभग सबने संसद को प्रजातंत्र का मंदिर बताया लेकिन संसद को मंदिर की भांति मानकर सीढ़ियों पर माथा टेकने वाले श्री नरेंद्र मोदी पहले शख्स हैं। ऐसा उन्होंने तब किया जब वे प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने की पहली प्रक्रिया में सांसदों की बैठक में नेता चयन हेतु जा रहे थे। किसी ने कहा है कि "जो लोग महान हुए हैं वे अलग कुछ नहीं करते, बस हर काम अलग तरीके से करते हैं।" यही अंदाज उस दिन श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से झलका, यह न केवल सीढ़ियों पर माथा टेकने में था बल्कि सीढ़ियां चढ़ने के एक-एक कदम में था और बोलने के एक-एक शब्द में भी।

हृदय में भावुकता इतनी कि आंख से आंसू छलक आए और शब्दों में दृढ़ता इतनी कि काम करने की शैली और आगे के पूरे कार्यक्रम की झलक मिल गई। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले के गुजरात के लगभग तेरह वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने देश के पहले और अकेले मुख्यमंत्री होने का यह रिकार्ड बनाया कि एक भी दिन अवकाश नहीं लिया। वे कहीं भी छुट्टी मनाने या विश्राम करने नहीं गए वह भी उस परिस्थिति में जब सबेरे 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक संपर्क के लिए उपलब्ध रहते थे और विशेष

श्री मोदी ने रच दिया इतिहास

श्री नरेंद्र मोदी की जीत उनकी दशकों की कठिन मेहनत का परिणाम है। आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ता, फिर बीजेपी के संगठनकर्ता से लेकर गुजरात के चार बार मुख्यमंत्री तक का सफर।

1950

जन्म

गुजरात के वडनगर में चाय बेचने वाले दामोदरदास मोदी के परिवार में 17 सितंबर को जन्म हुआ।

1971-1978

आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ता

1971 में आरएसएस के प्रचारक बने।

1978-1987

आरएसएस प्रचारक

1978 में जिला प्रचारक के तौर पर बड़ौदा की जिम्मेदारी दी गई। 1979 में तीन जिलों नाडियाड, डांग और पंचमहल के विभाग प्रचारक बनाए गए।

1987-2001

बीजेपी के संगठन मंत्री

1987 में बीजेपी में शामिल। गुजरात इकाई के संगठन मंत्री बने। 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बने। 1998 में महासचिव (संगठन) बनाए गए।

2001-2013

गुजरात के मुख्यमंत्री

2001 में केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 के गुजरात दंगे से बहुत बड़ा झटका लगा लेकिन 2002 और 2007 में फिर से चुने गए। 2012 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने।

16 मई, 2014

भारी बहुमत

1984 में राजीव गांधी के बाद ऐसे पहले नेता बने जिन्होंने किसी एक पार्टी को बहुमत दिलाया, वड़ोदरा से रिकॉर्ड जीत।

परिस्थितियों में चौबीस घंटे इसकी झलक सोलहवीं लोकसभा के पूरे प्रचार अभियान में दिखी। उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं कीं, रोड शो किए और रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने इतना बोला कि गले की शक्ति थक गई थी। बोलने में भारीपन आ गया या फिर भी वे कहीं नहीं रुके और प्रचार के अंतिम दिन दस मई को ही पार्टी अध्यक्ष के पास अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे। यहां यह तथ्य स्मरणीय है कि देश में मतदान की अंतिम तिथि 12 मई थी और प्रचार की अंतिम तिथि 10 मई। श्री मोदी प्रचार की इसी अंतिम तिथि प्रचार अभियान समाप्त होते ही राजनाथ सिंह के पास विवरण लेकर पहुंचे भाजपा के किसी नेता या मीडिया के आंकलन में अनुमान कुछ भी हों लेकिन श्री मोदी को भरोसा था कि भाजपा 272 प्लस होगी। इसीलिए उन्होंने 10 मई की शाम ढले हुई इस मुलाकात में श्री राजनाथ सिंह से दो टूक शब्दों में कहा था कि 'अभी प्रचार की रिपोर्ट लीजिए और वर्ष 2019 में काम की रिपोर्ट दूंगा।' इसका मतलब साफ है कि श्री मोदी को बहुमत में कमी की आशंका बिल्कुल नहीं थी और वे केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के प्रति आश्वस्त थे।

उन्होंने जीत का आधार पांच पीढ़ियों का परिश्रम माना और श्रेय उन कार्यकर्ताओं को दिया जिनके पास पहनने के लिए केवल एक जोड़ा है और जो चौबीस घंटे पार्टी का झंडा उठाकर घूमते हैं। उनके दो वाक्यों में सकारात्मकता और आशावाद की बेमिसाल झलक है जिसमें उन्होंने कहा - 'मेरे पास पूरा भरा हुआ गिलास है आधा पानी से और आधा हवा से भरा है।' फिर उन्होंने आगे कहा 'यह किसी की हार नहीं, हमारी जीत है।' यह उनके उस आत्मविश्वास की झलक है जो गुजरात में पूरे कार्यकाल के दौरान दिखा और इसी तरह की बातें उनके पूरे प्रचार अभियान में प्रदर्शित हुईं।

इनके साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इन दोनों का स्मरण करने के अपने-अपने मायने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ में नीतियों के निर्माण लिए याद किया जाता है। वे राजनैतिक और सामाजिक विकास के केन्द्र में एकात्म मानववाद के सिद्धांत को रखना चाहते थे। उनकी प्राथमिकता में गांव और गरीब वर्ग के लोगों का विकास था जबकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी ऐसी सर्वमान्य छवि के लिए जाने जाते हैं जिसकी प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। इसका अर्थ है कि मोदी सरकार एक तरफ देश के शोषित-पीड़ित और वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देगी और दूसरी तरफ सभी साथियों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न होगा। जिस तरह एनडीए के पिछले कार्यकाल में सहयोगी संगठनों के दबाव के चलते नीतियों में बदलाव करना पड़ा था। अतीत उन अनुभवों के कारण ही श्री नरेंद्र भाई मोदी ने संकेत दिया कि वे सबको साथ लेकर तो चलेंगे लेकिन नीतियों और सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे।

अपनी नीतिगत बातों और भावनाओं से भरी अभिव्यक्ति के बीच उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को इस बात के प्रति भी आगाह किया कि वे मंत्री पद पाने के लिए भागदौड़ न करें और न सिफारिशें लगाएं। कार्यकर्ताओं की क्षमता, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। श्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के विभिन्न राजनेताओं को आमंत्रित करने की श्रृंखला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को आमंत्रित तो किया लेकिन उससे पहले श्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि "उनका जैसा बर्ताव होगा, हम ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे।"

श्री मोदी ने अपनी शुरुआत आचार्य चाणक्य के उस सिद्धांत से की जिसमें कहा था कि शासन की नीतियों, निर्णयों और शब्दों से मित्रों का मनोबल बढ़े किन्तु दुश्मनों के दिल दहलें।" और वाकई श्री मोदी ने संसद के सेन्ट्रल हाल से भाषण में यही संदेश गया।

● **रमेश शर्मा**

मर्यादा अभियान

सम्मान स्वच्छता स्वाभिमान की सुरक्षा

मध्यप्रदेश में मर्यादा अभियान की शुरुआत एक लक्ष्य, एक उद्देश्य को लेकर की गई है जिसमें समाहित हैं सम्मान, स्वच्छता और स्वाभिमान। लक्ष्य है सम्पूर्ण प्रदेश में स्वच्छता का संदेश देकर एक स्वच्छ, निर्मल प्रदेश का निर्माण करना। 2012 से प्रदेश में प्रारंभ मर्यादा अभियान निर्मल भारत अभियान का ही अंग है। यह एक मांग आधारित तथा समुदाय सहभागिता का अभियान है जिसमें प्रदेश की महिलाओं को केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य खुले में शौच की असुविधा से मुक्ति पाना है।

प्रदेश में पहली बार इस महत्वपूर्ण पहलू पर कार्य प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश भर में निर्मलता की संकल्पना साकार हो रही है। इस संकल्पना को तीन चरणों में पूर्ण किया जा रहा है। प्रथम चरण में नलजल योजना वाले 5800 ग्रामों को चयनित किया गया है। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर जिला, जनपद पंचायत बुदनी, जिला-सीहोर, जनपद पंचायत बदनावर, जिला-धार के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा। दूसरे चरण में इस योजना का कार्य उन ग्रामों में किया जाएगा, जिनमें बंद नल जल योजना को आवश्यक सुधार कर पुनः प्रारंभ किया जाएगा तथा तीसरे चरण में शेष सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही यदि किसी अन्य ग्राम से भी मांग प्राप्त होने पर भी राशि प्रदाय की जायेगी।

प्रदेश के ग्रामों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण के साथ ही रहवासियों की मर्यादा, स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी सभ्य समाज में खुले स्थानों पर शौच की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मर्यादा अभियान का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को व्यापक बनाना है ताकि लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। मर्यादा के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय, विद्यालय एवं शासकीय भवनों, आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का प्रावधान है। ग्रामों को गंदगी से मुक्त करने के लिए तरल एवं ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था की जाती है। प्रयास ये भी किये जा रहे हैं कि इस अभियान को सफल और सार्थक बनाने में जनभागीदारी सुनिश्चित हो क्योंकि निर्मल प्रदेश की कल्पना तभी की जा सकती है जब प्रदेशवासियों में स्वच्छता की भावना जागृत हो। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करे। सिर्फ सरकारी प्रयासों से सार्थक परिणाम मुश्किल हैं। निर्मल प्रदेश की कल्पना एक सोच है। सोच परिवर्तन की है। सोच आत्मसम्मान की है। जब तक हम सोच पर विचार नहीं करेंगे तब तक बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते।

समुदाय के व्यवहार में बदलाव तथा गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए गतिशीलता और भागीदारी की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश में इस अभियान को गतिशील बनाने के लिए मर्यादा रणनीति के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के रहन-सहन को गुणवत्तापरक बनाये जाने के लिए आधारभूत स्वच्छता सुविधाओं के सृजन के

मर्यादा अभियान में

- ग्रामों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण।
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए मानक निर्धारित।
- प्रत्येक स्तर पर कारीगरों का प्रशिक्षण।
- शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करना।

अटल है अपना ठोस इरादा।
सफल करेंगे हम मर्यादा।।

साथ ही समुदाय में स्वच्छता संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए मंच पैदा करना मुख्य लक्ष्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार विशेषरूप से महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और व्यवस्थित शौच का स्थान उपलब्ध होगा। इस आधारभूत सुविधा से एक ओर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, को मर्यादित जीवन निर्वहन का अवसर प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर उनकी पहचान सभ्य समाज के रूप में किए जाने में मदद मिलेगी तथा खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा। साथ ही प्रदूषित होने वाले संक्रमित रोगों से ग्रामीणजनों को बचाए जाने में भी सहायता मिलेगी।

स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्मल भारत अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गयी है। साथ ही प्रोत्साहन को केवल बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित न रखते हुए गरीब तबके के ए.पी.एल. परिवारों को भी शामिल किया है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में एक-एक घर पर शौचालय

मर्यादा की रक्षा और महिलाओं का सम्मान

- **घर में पक्का शौचालय बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान से मिलेगा रु. 4600 का प्रोत्साहन तथा मनरेगा से मजदूरी और सामग्री व्यय के लिये मिलेंगे रु. 5400 हितग्राही को रु. 900 अंशदान देना होगा तभी होगा अच्छा शौचालय का निर्माण। साथ ही यदि हितग्राही चाहे तो केवल मनरेगा से भी शौचालय निर्माण हेतु पूरे दस हजार रुपये प्राप्त कर सकता है।**
- **स्कूल शौचालय के लिए निर्मल भारत अभियान से मिलेंगे रु. 35000 और आंगनवाड़ी शौचालय के लिये रु. 8000 मिलेंगे।**
- **सभी बी.पी.एल. परिवार।**
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ए.पी.एल. परिवार।**
- **लघु व सीमान्त कृषक, भूमिहीन परिवार, शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के परिवार तथा महिला मुखिया वाले परिवार।**

निर्मल भारत अभियान
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की स्थिति -

1. योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति -

क्र.	घटक	2011-12			2012-13			2013-14		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	बी.पी.एल. शौचालयों का निर्माण	744240	472521	63.49	776638	339282	43.68	907293	279845	30.84
2.	ए.पी.एल. शौचालयों निर्माण	716461	456180	63.67	787842	218907	27.78	992368	235738	23.76
	कुल व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	1460701	928701	63.58	1564480	558189	35.68	1899661	515583	27.14

2. वित्तीय उपलब्धि -

क्र.	घटक	2011-12		2012-13		2013-14 फरवरी 2014 तक	
		जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि
1.	केन्द्रांश	15076.00	16700.46	25779.96	18249.30	24600.65	24785.52
2.	राज्यांश	5609.55	6155.64	7252.27	6147.40	14670.56	8442.38
	कुल योग	20685.55	22856.1	33032.23	24396.7	41071.21	33227.90

(*Source-nba.gov.in)

देवगढ़ गाँव खुले में शौच से मुक्त

ग्राम देवगढ़, गुना जिले का एक पटेलिया आदिवासी बहुल ग्राम है, जहाँ के लोग आज गर्व से अन्य ग्रामवासियों एवं सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को खुले में शौच मुक्त अपने ग्राम में आने के लिये आमन्त्रित कर रहे हैं। जिला मुख्यालय गुना से 60 कि.मी. दूर देवगढ़ जहां पर लोग अन्य गांवों की तरह ही वर्षों से खुले में शौच के लिए जा रहे थे, परन्तु आज गांव की तस्वीर बदल गई है और देवगढ़ बन गया है खुले में शौच से मुक्त ग्राम और यह काम यहां के रहवासियों द्वारा स्वयं की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प द्वारा किया गया है।

12 फरवरी 2012 से जिस दिन ग्राम में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षित लोगों के दल द्वारा समुदाय की सभी महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को एकत्र कर समुदाय की स्वच्छता की स्थिति का सामूहिक आकलन किया गया तो लोगों ने स्वयं जाना कि किस प्रकार उनके द्वारा खुले में मल त्याग करने पर विभिन्न माध्यमों से उनके पास दोबारा लौट रहा है और वे अनजाने में एक दूसरे का मल खा रहे हैं। यही वो बात थी जिससे समुदाय के लोग विचलित हो गए और उन्होंने कहा आज से हम कुप्रथा को बन्द करेंगे। इस ग्राम को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। अब समुदाय में चिंगारी फैल चुकी थी। समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जल्द से जल्द अपने गांव को इस प्रथा से मुक्त कराना चाहते थे। इन्हीं में से एक नौजवान हैं, श्री देवलाल पटेलिया जिन्होंने आगे आकर इस कार्य को करने का संकल्प लिया।

देवगढ़ में देवलाल ने प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए अपने गांव को 35 दिनों में खुले में शौच मुक्त बनाने में कामयाबी हासिल की। जिला प्रशासन गुना एवं श्री देवलाल के प्रयासों से सभी 123 परिवार स्वयं के व्यय से एवं सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर शौचालय निर्मित कर उपयोग करने लगे। ग्रामवासियों ने अपनी हैसियत के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के रु. 1000 से 6000 तक के लागत के शौचालय बनाए हैं एवं इनका उपयोग करना भी किया। मई 2012 को देवगढ़ के ग्रामवासियों ने आनंद के उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में 25 ग्रामों के स्वाभाविक नेताओं को प्रेरित करने आमंत्रित किया गया। इससे यह लाभ हुआ कि सभी ग्रामों में ग्राम को खुले में शौच मुक्त करने का कार्य तेजी से चल पड़ा।

आज देवगढ़ ग्राम जिले के अन्य ग्रामों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गया है। अब तक जिले के 35 और ग्राम 'खुले में शौच की प्रथा से मुक्त' हो गए हैं।

निर्माण की बजाए पूरे ग्राम को खुले में शौच मुक्त करने पर जोर दिया गया है।

प्रदेश में मर्यादा अभियान की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है गांवों की महिलाओं की उठती आवाजें। आज प्रदेश के अलग-अलग गाँवों की महिलाओं के उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं ने खुले में शौच जैसी कुप्रथा के विरोध में साहसिक कदम उठाए हैं। किसी ने समाज से लड़ाई की तो किसी ने परिवार तक को छोड़ा। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए स्वच्छता सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है बल्कि यह उनके सम्मान और सुरक्षा का भी प्रश्न है। यह सुखद है कि आज महिलाओं की भूमिका सशक्त हो रही हैं। वे आगे आकर अभियान में भाग ले रही हैं। जिसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। हमें इसी सोच को बल देकर कामयाब होना है।

● **नवीन शर्मा**

ग्रामीण भारत के स्वस्थ जीवन और स्वाभिमान के लिये

निर्मल भारत अभियान

स्वस्थ जीवन का सीधा संबंध स्वच्छता से है। स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन से समृद्धि आती है। व्यक्तिगत सामाजिक और पर्यावरणीय अस्वच्छता भारत सहित अन्य विकासशील देशों की बीमारियों का प्रमुख कारण है। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण भारत में अशुद्ध पेयजल का उपयोग, मानव मल का सही ढंग से निपटान न किया जाना, पर्यावरण की, स्वयं की और भोजन की समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था न होने से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ एक गंभीर चेतावनी हैं। समाज में होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के जीवन स्तर में सुधार लाना और महिलाओं को आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करना था।

1999 में इसे ही विस्तारित करते हुए व्यक्तिगत साफ-सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कूड़ा करकट निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट मल के निपटान की अवधारणा को आकार दिया और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास आदि को शामिल किया गया। ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कार्य करने के साथ विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिये सहायता प्रदान की गयी। सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार भी शुरू किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वच्छता आंदोलन की शुरुआत हुई। समुदाय के इसी सकारात्मक दृष्टिकोण को केन्द्र में रखकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान किया गया। निर्मल भारत अभियान के तहत समग्र स्वच्छता, महिलाओं की मर्यादा और ग्रामीण भारत के स्वस्थ जीवन, समृद्धि और स्वाभिमान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

निर्मल भारत अभियान के बारे में

- ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों के निर्धारित परिवारों के लिए निजी पारिवारिक शौचालय की व्यवस्था।
- ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन जिनमें सभी बस्तियों में पानी उपलब्ध हो। उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें कार्यशील पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा हो।
- इन ग्राम पंचायतों में सरकारी स्कूलों और सरकारी भवनों में चलाई जाने वाली आँगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था।
- प्रस्तावित और मौजूदा निर्मल ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
- स्थायी स्वच्छता के लिए पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों तथा क्षेत्रीय कर्मियों जैसे हिस्सेदारों की गहन क्षमता का विकास।
- एमएनआरईजीएस के साथ अकुशल श्रम दिवसों और कुशल श्रम दिवसों के अनुसार समुचित तालमेल।

उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना।
- देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किये गए विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करना और छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा देना। पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए, समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना।

कार्यनीति : समुदाय के नेतृत्व का निर्माण कर जनकेन्द्रित कार्य तथा सामुदायिक संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रामीण भारत को 'निर्मल भारत' में परिवर्तित करने की रणनीति है। जागरूकता सृजन, घरों और विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के सृजन की मांग पैदा करने और समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित किया है। सबसे गरीब परिवारों को निजी पारिवारिक शौचालय इकाईयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था को विस्तृत किया गया है ताकि अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल किया जा सके और इस तरह सामुदायिक परिणाम हासिल किये जा सकें। सृजित स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व के लिए ग्राम पंचायत में पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विद्यालय स्वच्छता का एक प्रमुख घटक है और ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से स्वीकार करने का प्रवेश बिंदु भी है। गहन प्रचार-प्रसार अभियान इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह, स्वसहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन इत्यादि शामिल हैं। कारपोरेट घरानों को शामिल किया जा रहा है।

कार्यान्वयन : एक अप्रैल 2012 से प्रारंभ निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत को आधार इकाई मानकर किया जा रहा है अभियान को आरंभिक क्रियाकलापों के साथ अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित किया गया है। स्वच्छता प्रथाओं में व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, संसाधन संगठनों की भागीदारी के साथ गहन प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गई है।

प्रचार-प्रसार : सूचना, शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका लक्ष्य व्यावहारिक बदलाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाओं और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की मांग पैदा करना है। प्रचार-प्रसार गतिविधियों में ग्राम की आबादी के सभी वर्गों को शामिल भी किया जा रहा है। प्रचार-प्रसार केवल एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है। निर्माण को बढ़ावा देने वाली मांग सृजन को शामिल करने के लिए योजना तैयार की गई। प्रचार-प्रसार क्रियाकलाप सभी स्तरों अर्थात जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायतों में चलाए जा रहे हैं।

क्षमता निर्माण : इसके तहत पंचायती राज संस्था के सदस्यों, ब्लॉक तथा जिला

कर्मियों और बुनियादी स्तर के कर्मियों जैसे - आशा और अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा तथा इनसे संबंधित कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं इत्यादि को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। स्वसहायता समूहों को जागरूकता बढ़ाने वाले क्रियाकलापों के रूप में राजमिस्त्री संबंधी काम, ईंट बनाने, टॉयलेट पैन बनाने और नलमिस्त्री से संबंधित काम इत्यादि जैसे पेशों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण : पारिवारिक स्वच्छता शौचालय में एक ऊपरी ढांचा सहित शौचालय इकाई शामिल है। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करना है। योजना के तहत दिया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, छोटे तथा सीमांत किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिला प्रमुख परिवारों को दिया जाता रहा है। शौचालय निर्माण के लिये एजेंसी ग्राम पंचायत है। पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कार्य परिवार द्वारा खुद भी किया जा सकता है और शौचालय बन जाने तथा इस्तेमाल शुरू हो जाने पर नकद वित्तीय प्रोत्साहन परिवार की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।

ग्रामीण स्वच्छता बाजार और उत्पादन केन्द्र : ग्रामीण स्वच्छता बाजार एक ऐसी दुकान है जिसमें स्वच्छ शौचालयों, सोख्ता तथा कंपोस्ट पिट्स, वर्मी-कंपोस्टिंग, धुलाई चबूतरों, प्रमाणित घरेलू जल शोधकों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां हार्डवेयर और डिजाइन तथा आवश्यक अन्य स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधी उपकरण उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण स्वच्छता बाजार में अलग-अलग तरह का शौचालय बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां, सेवाएं, मार्गदर्शन तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए अन्य स्वच्छता

संकल्प निर्मल भारत अभियान 2014

- प्रत्येक जिले में एक विकासखण्ड को खुले में शौच से मुक्त बनाना।
- जिले के अन्य विकासखण्डों के प्रत्येक विकासखण्ड में 10-10 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाना।
- प्रत्येक विकासखण्ड में हर माह 500 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण एवं उनका उपयोग सुनिश्चित करना।
- अभियान के अमले के बीच समन्वय स्थापित करना एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- निर्मल ग्राम एवं 10000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य पूर्ण करना।
- जिला पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर 15 दिवस में निर्मल भारत अभियान की समन्वय बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला, जनपद पंचायत की अध्यक्षता में आयोजित करना।
- जिले के चिन्हित एक जनपद पंचायत एवं जिले की अन्य जनपदों की चिन्हित ग्राम पंचायतों को राशि जारी करना।
- मस्टर रोल/एफटीओ (Fund Transfer Order) का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना।

सपना हुआ साकार

कटनी जिले के ग्राम लखाखेरा में कुल परिवार 246 और जनसंख्या कुल 1066, ग्राम में 121 परिवार बी.पी.एल. एवं 125 परिवार ए.पी.एल. हैं। ग्राम में लगभग 45 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे व निम्न आय वर्ग के निवास करते हैं। ग्राम पंचायत में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब थी। गांव के अन्दर कोई भी पक्की सड़क और नाली नहीं थी, मुख्य मार्ग से गांव तक का संपर्क भी कच्चा था।

ग्राम की खस्ता हाल स्थिति से ग्राम के प्रभावशील व्यक्तियों के मन में कसक थी और ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने का सपना आँखों में था। सपने को साकार करने के लिए पूर्व सरपंच श्री सुशील राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिनके अथक प्रयासों से ग्राम में जनभागीदारी के कई कार्य हुए। ग्राम निवासी रामसुजान राय द्वारा माध्यमिक शाला भवन, आंगनवाड़ी भवन व कांजीहाउस के लिए भूमि का दान पत्र दिया गया जो ग्राम विकास की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। आज ग्राम में बी.आर.जी.एफ. से आदर्श आंगनवाड़ी उत्कृष्ट माध्यमिक शाला भवन दान की गई भूमि पर बच्चों का भविष्य निर्मित कर रही है। ग्राम वार्ड पंचों को अपने-अपने वार्ड का दायित्व सौंपा गया। स्वसहायता समूह व ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्रिय किया गया। शाला स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया तथा पाक्षिक व मासिक स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। जनभागीदारी से सड़क, ग्राम प्रवेश द्वार, नाली आदि निर्माण कार्य किया गया।

ग्राम की माध्यमिक, प्राथमिक शाला व आंगनवाड़ी में स्वच्छ वातावरण निर्माण के लिए बच्चों को शिक्षकों द्वारा प्रार्थना में 5 मिनिट का समय स्वच्छता संबंधी चर्चा के लिए रखा गया। बच्चों को अलग-अलग दायित्व व प्रतिनिधित्व सौंपा गया। श्री जगदीश निगम शिक्षक प्राथमिक शाला व शिक्षिका श्रीमती पहारिया द्वारा प्रत्येक माह स्वच्छता रैली निकालकर ग्रामवासियों को बच्चों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। ग्राम में तरल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए गांवों के 6 वार्डों में पक्की तथा ढकी हुई नाली, सभी वार्डों में सी.सी. रोड निर्माण, गांवों के सभी हैण्डपंपों में सोकपीट निर्माण, सार्वजनिक कुओं में निर्माण कार्य किये गये।

आज ग्राम खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय सुविधा है। ग्राम के सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं आंगनवाड़ी के भवनों में भी शौचालय सुविधा उपलब्ध है इसका उपयोग और रखरखाव भी किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम सीमा के भीतर खुले में शौच करने वालों पर 15 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ग्राम में सफाईकर्मी की भी व्यवस्था है जो प्रतिदिन ग्राम की सड़कों व नालियों व शासकीय भवनों की सफाई करता है। विगत 5 वर्षों से सतत् सफाई कर्मी नियुक्त है। आदिवासी महिला सरपंच के नेतृत्व में ग्राम विकास के पथ पर अग्रसर है। स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता होने के कारण गांव की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और घरों के रहन-सहन में परिवर्तन आया है व सुविधाओं का समावेश हुआ है।

सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर : सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मल भारत अभियान का एक अभिन्न घटक है। इन परिसरों, जिनमें उपयुक्त संख्या में शौचालय सीट, स्नान घर, कपड़े आदि धोने के लिए चबूतरा, वाशबेसिन इत्यादि शामिल हैं, को गांव में ऐसी जगह पर बनाया जा सकता है जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो तथा जहां सभी पहुंच सकें। आमतौर पर, ऐसे परिसर केवल तभी बनाए जाएंगे जब गांव में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए जगह का अभाव हो और समुदाय इन परिसरों के परिचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ले। इसका मुख्य लक्ष्य अधिकतम वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण तभी किया जाता है जब किसी कारण से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय नहीं बनाए जा सकते हैं और समुदाय को 'साफ-सफाई की आदतों' के बारे में बताना भी आवश्यक हो। ऐसे परिसरों के

रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ऐसे परिसर उन सार्वजनिक स्थानों, बाजारों इत्यादि में भी बनाए जा सकते हैं जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।

संस्थागत शौचालय : संस्थागत शौचालय, बच्चों, अभिभावकों को समुचित स्वच्छता की आदतें अपनाने के लिए प्रभावित करने का एक उपयुक्त माध्यम है। बच्चे नए विचारों को जल्दी ग्रहण करते हैं। विद्यालय और आंगनवाड़ी में खुले में शौच करने की जगह शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के व्यवहार, सोच तथा आदतों में बदलाव लाया जा सकता है।

विद्यालय शौचालय : सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक रूप से शौचालय बनाए जा रहे हैं। सभी सह-शिक्षा विद्यालयों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध किये जा रहे हैं। शौचालयों की संख्या स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार स्कूल की आवश्यकता अनुरूप

जन-जन में अलख जगाना है।
समग्र स्वच्छता को अपनाना है।

होती है।

आंगनवाड़ी शौचालय : जीवन के आरंभकाल से ही बच्चों में शौचालय का उपयोग करने की आदत डालने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि आंगनवाड़ियों का इस्तेमाल बच्चों और माताओं में व्यावहारिक बदलाव लाने के एक मंच के रूप में किया जाये। इसके लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी में बच्चों के अनुकूल शौचालय निर्मित किये गये हैं।

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन : निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इसे हल करने का एक प्रमुख घटक है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर किसी ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतें स्थायी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस घटक के तहत कंपोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, सार्वजनिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली निकासी, सीवेज चैनल, गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरा को अलग-अलग करना तथा उसका निपटान करना जैसे कार्य शुरू किये जा रहे हैं।

निर्मल भारत अभियान के तहत सृजित सुविधाओं का रखरखाव

स्वच्छता सुविधाओं की समुचित देखभाल तथा रखरखाव के लिए समुदाय, विशेषकर परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। प्रचार-प्रसार कार्य में स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव के संबंध में समुदाय को जागरूक करने का काम शामिल है। वैयक्तिक पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के रखरखाव पर होने वाले खर्चे की पूर्ति परिवारों द्वारा की जानी चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की रखरखाव लागत की पूर्ति के लिए संबंधित विभाग, विद्यालय, आंगनवाड़ी को पर्याप्त निधियां उपलब्ध की जाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं तथा जिलों को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य उपयुक्त निधियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति : प्रेरणा, जागरूकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की उपसमिति के रूप में एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति गठित की गयी है। इस समिति की निर्मल ग्रामों की लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों की उत्प्रेरक की भूमिका है। उन्हें प्रचार-प्रसार गतिविधियों तथा क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है जिससे स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और उनके इस्तेमाल की मांग पैदा हो सके। गैर-सरकारी संगठनों को बेसलाइन सर्वेक्षण तथा पीआरए में भी शामिल किया गया है, ताकि स्वच्छता, साफ-सफाई, जल के इस्तेमाल, परिचालन एवं रखरखाव इत्यादि के संबंध में प्रमुख व्यवहार तथा ज्ञान का विशेष रूप से निर्धारण किया जा सके। गैर-सरकारी संगठन उत्पादन केन्द्र तथा स्वच्छता बाजार भी खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठनों का निर्धारण एक पारदर्शी मानदण्ड भी अपनाकर किया जा सकता है।

निगमित निकायों की भूमिका : कारपोरेट घरानों को कारपोरेट सोशल रेसपांसिबिलिटी के अनिवार्य हिस्से के रूप में निर्मल भारत अभियान में भाग लेने के लिए

नरसिंहपुर में सार्थक हुआ निर्मल भारत अभियान

नरसिंहपुर जिले में निर्मल भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन से वर्ष 2012-13 में नरसिंहपुर जिले की 157 ग्राम पंचायतों को 'खुले में शौच से मुक्त' करने के लिए चयनित किया गया।

क्षमता का विकास एवं सम्भावनाओं की पहचान के लिए मॉडल ग्राम बघुवार का भ्रमण - चयनित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, उपयंत्री और रोजगार सहायक और स्वच्छता दूतों को जिले के मॉडल प्रशिक्षण केन्द्र बघुवार में दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एवं निर्मल ग्रामों का भ्रमण कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुल 15 उपयंत्री, 260 रोजगार सहायक, स्वच्छता दूत, 155 सरपंच/सचिव सहित कलस्टर स्तर पर 248 राजमिस्त्रियों को शौचालय निर्माण की जानकारी देते हुए मॉडल शौचालय का निर्माण कराया गया जिससे लोगों को तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई।

समुदाय में जनजागृति एवं भागीदारी को बढ़ावा - ग्राम सभा, पंचायत बैठक एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता की जानकारी प्रदान की गई। जिला तथा जनपद स्तर से ग्राम चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों से जिला अधिकारियों द्वारा सीधे संवाद किया गया। पोस्टर, पेम्फलेट के माध्यम से फ्लेक्स, बैनर आदि के द्वारा मर्यादा अभियान का प्रचार-प्रसार किया गया जिससे शौचालय का निर्माण और माँग में क्राँति आई। मर्यादा अभियान अंतर्गत चयनित 157 ग्राम पंचायतों, जिला स्तर से ग्राम

चौपाल का आयोजन किया गया, ग्राम में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं के व्यय से शौचालय निर्माण किया उन्हें सामूहिक रूप से ग्राम चौपाल के माध्यम से कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पुष्पमाला पहनाते हुए सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा एकजाई सामग्री क्रय की गई। शौचालय की गुणवत्ता देखते हुए लोग शौचालय बनवाने के लिये प्रेरित हुए तथा अब उपयोग कर रहे हैं। ग्रामों में शौचालय निर्माण करने के लिये स्थानीय स्तर पर रेत, ईंट एवं सीमेंट क्रय किया गया। थोक रेट में दरवाजा बनवाने के लिये पंचायत स्तर से डिजाईन रेट निर्धारित किया गया। सेनेटरी पेन पंचायत स्तर से क्रय किया गया है।

सफलता की सौगात और सम्मान - मर्यादा अभियान अंतर्गत जिले में अभिनव प्रयास के माध्यम से कार्य किये गये हैं जिनमें हितग्राहियों द्वारा स्वयं के व्यय से शौचालय निर्माण कर उपयोग किये जा रहे हैं।

प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मान्यता है कि एक स्वस्थ कार्यबल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य कर सकता है बशर्ते इसकी जानकारी उन्हें पहले से हो। इस तरह, निर्मल भारत अभियान कारपोरेट घरानों को अपने सीएसआर को हल करने में मदद करने वाले मंच के रूप में किया जा सकता है।

ग्राम स्वच्छता सभा (जीएसएस) : विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति तथा ग्राम पंचायत में आयोजित किए गए स्वच्छता दिवस की कार्यवाहियों की अनिवार्य रूप से समीक्षा करने के लिए सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक 6 महीनों में 'ग्राम स्वच्छता सभा' के रूप में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना शामिल है। इन मंचों पर, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तैयार की गई जानकारी को समुदाय के किसी जिम्मेवार व्यक्ति जैसे विद्यालय के एक अध्यापक, भूतपूर्व सैनिक द्वारा पढ़वाया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। इस सभा में लोगों को अधिकारियों से प्रश्न पूछने, सूचना मांगने और प्राप्त करने, वित्तीय व्यय का सत्यापन करने, लाभार्थियों की सूची की जाँच करने, पसंद के कार्यों में प्रतिबिम्बित प्राथमिकताओं पर चर्चा करने तथा कार्यक्रम कर्मियों के कार्यों की गुणवत्ता और कार्यक्रम कर्मियों की सेवाओं का विवेचनात्मक रूप से मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जाए।

● **अभिलेष स्वामी**

शत-प्रतिशत शौचालय

जिला हरदा की जनपद पंचायत, टिमरनी की ग्राम पंचायत निमाचाखुर्द में 68 बीपीएल परिवार एवं 189 एपीएल परिवार निवासरत हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत में शत प्रतिशत शौचालय न होने के कारण गांव में स्वच्छता का वातावरण नहीं था, आज सरपंच, सचिव तथा ब्लाक समन्वयक के अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत शौचालय पूर्ण हो चुके हैं। 3 परिवार शेष बचे थे जिनके पास जगह का अभाव था, उनके लिये ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण पानी की सुविधायुक्त कराकर उपयोग करने के लिये दे दिया गया है। ग्राम पंचायत में शाला एवं आंगनवाड़ी में भी छात्र एवं छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालयों की सुविधा की गई है। जिसका छात्र एवं छात्राएं उपयोग कर रहे।

ग्राम पंचायत के एक मोहल्ले में पानी भरता था, वहां पर अंडरग्राउण्ड पाइपलाइन डालकर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। ग्राम में कूड़ा-करकट, घूड़े अथवा गड्ढों में डाला जाता है। इन कार्यों का करने में ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकगण, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकगण एवं सरपंच, उपसरपंच पंचगण का विशेष सहयोग रहा है। गांव में समय-समय पर रैली निकालना, दीवार लेखन, आदि कार्य किया जाता है। समग्र स्वच्छता होने के उपरांत अब गांव में खुशहाली है, रोगों व बीमारियों में कमी आई है। गाँव के लोग जागरूक हो गये हैं।

अमरवाड़ा विकासखण्ड अंतर्गत अंबूजा सीमेंट फाउण्डेशन स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से तीन बैचों में विकासखण्ड की ग्राम पंचायत धसनवाड़ा के लहगडुआ, चिखलीमुकासा के चनेरी तथा कोण्डरा पंचायत के पिपारिया भारती के ग्राम 45-45 राजमिस्त्रियों की बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती श्वेता पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री पी.एस. सरेयाम व ब्लाक समन्वयक निर्मल भारत अभियान द्वारा एक दिन शौचालय निर्माण पर तथा द्वितीय दिन शौचालय निर्माण कार्य स्थल पर प्रशिक्षित करवाया गया। इस प्रकार कुल 135 राजमिस्त्रियों को संस्था द्वारा 45 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया था जिन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जिला, जनपद, ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की राशि अथवा सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी।

स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रशिक्षित 135 राजमिस्त्रियों की सूची कार्यालय में उपलब्ध होने के पश्चात् कलेक्टर श्री महेश चंद चौधरी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा को अवगत कराया गया जिसके उपरांत जिला समन्वयक श्री सुधीर कृषक के निर्देशन में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का दल का गठन किया गया जिन्हें वर्तमान में जनपद पंचायत में जारी मर्यादा अभियान के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है।

प्रशिक्षित राजमिस्त्री के समूह का गठन कर ग्राम पंचायत स्तर उनका उपयोग शौचालय निर्माण के लिए किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के समस्त सरपंच एवं सचिव के पास सभी राजमिस्त्रियों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है इसी तरह प्रत्येक राजमिस्त्री के पास ब्लाक समन्वयक तथा प्रत्येक सरपंच व सचिव का सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करा दिया गया है।

राजमिस्त्री अपने स्तर से भी सम्पर्क करने के पश्चात् समूह के रूप में शौचालय का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिससे जनपद पंचायत की प्रगति संतोषजनक होने के साथ शौचालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी तकनीकी रूप से बेहतर हो गई है।

घर की मर्यादा के लिए व्यक्तिगत शौचालय

स्वच्छ पर्यावरण के लिए मानव मल का उचित निपटान अत्यावश्यक है। मल के उचित निपटान नहीं होने से या खुले में मल त्याग करने से मल के द्वारा पेयजल के स्त्रोत गंदे होते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त आदि फैलती हैं। खुले में त्याग किया हुआ मल विभिन्न माध्यमों जैसे पानी, मक्खी, हाथों, जानवरों के पैरों आदि से हमारे भोजन में मिलता है और उसे दूषित करता है। खुले में मल त्याग करने से महिलाओं के मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती है साथ ही बरसात आदि में खुले में शौच जाने में परेशानी होती है। इन सब को देखते हुए यह जरूरी है कि हर घर में एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो।

सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय के मुख्य घटक

कैसे बनायें अच्छा सोख्ता गड्ढा

- दो लीच पिट (सोख्ता गड्ढा) वाले शौचालयों का ही निर्माण किया जाये। शौचालय के ऊपर के हिस्से को गड्ढों के ऊपर न बनाया जावे। लीच पिट का गड्ढा गोल आकार का होना चाहिए जो गड्ढे को अधिक स्थायित्व प्रदान करता है जिसके अंदर का व्यास चुनाई के बाद 1 मीटर तथा गहराई 1.20 मीटर होना चाहिए।
- शौचालय निर्माण के लिए निर्मित किये जाने वाले गड्ढे की चुनाई करते समय चुनाई के नीचे आड़ी ईंटों का आधार तैयार करें शेष बीच का फर्श खुला छोड़ें। इसके पश्चात् नीचे के दो रद्दे एवं बीच में एक रद्दा छिद्र रहित पूर्ण चुनाई के हों तथा प्रत्येक लाइन में दो ईंटों के बाद 1 इंच से 1.5 इंच का अन्तर होना चाहिए काली मिट्टी वाले क्षेत्र में 1/2 इंच का अंतर होना चाहिए। ऊपर के अंतिम तीन रद्दे छिद्र रहित होना चाहिये। गड्ढे की चुनाई के लिए पत्थर का भी उपयोग किया जा सकता है।

- चुनाई जमीन तल से कम से कम 20 सेमी. ऊँचा तक होना चाहिये जिससे बारिश का पानी तथा चेम्बर हेतु पर्याप्त ढाल मिल सके। ऊपर की चुनाई को चारों तरफ से मिट्टी से ढंक देना चाहिए।
- शौचालय के गड्ढे को ढांकने के लिये आरसीसी अथवा फर्शी का उपयोग किया जाये तथा गड्ढा खुला हुआ न हो पूरी तरह से बंद हो जिससे गड्ढे की दुर्गन्ध बाहर न आ सके। फर्शी वाले प्लेट को प्लास्टर से ढांक कर सील कर दें।
- शौचालय निर्माण में निर्मित होने वाले दो गड्ढों के बीच की दूरी न्यूनतम 1 मीटर होना चाहिए तथा चेम्बर से गड्ढे की दूरी भी न्यूनतम 1 मीटर होना चाहिये।
- एक गड्ढा भर जाने के बाद दूसरा गड्ढा आरंभ कर दें तथा प्रथम गड्ढे में एकत्रित मल एक से दो वर्ष की अवधि में आर्गेनिक खाद बनकर उपयोग के लिये तैयार हो जाता है। इस खाद का उपयोग खेती, बागवानी अथवा विक्रय हेतु भी किया जा सकता है।
- शौचालय के गड्ढे की दूरी पेयजल स्त्रोतों से जैसे हैंडपंप, कुआँ, बावड़ी, इत्यादि से न्यूनतम 10-15 मी. होना चाहिये। यदि पेयजल स्त्रोत, गड्ढे (पिट) की तुलना में ऊँचाई पर (अपस्ट्रीम में) है तो न्यूनतम दूरी 10 मी. होना चाहिये एवं यदि पेयजल स्त्रोत की तुलना गड्ढा ऊंचाई पर (स्त्रोत डाउन स्ट्रीम में) है, तो दूरी न्यूनतम 15 मी. होना चाहिये, जिससे पेयजल स्त्रोत प्रदूषित न हो।
- जल भराव वाले स्थानों पर लीचपिट, सुपर स्ट्रक्चर को अधिक ऊँचा रखें। लीच पिट में बाथरूम आदि का पानी नहीं जाना चाहिये।

सोख्ता गड्ढा बनाते समय ये गलतियां ना करें?

- दोनों लीच पिट के पाईप के द्वार को खुला ना छोड़ें, एक को चेम्बर से बन्द कर दें, अन्यथा दोनों गड्ढे एक साथ भर जायेंगे।
- लीच पिट आधारित गड्ढे की गहराई 1.20 मी. से अधिक न रखें अन्यथा मल के डिकम्पोजिशन में अधिक समय लगेगा।
- चुनाई में ईंटों के बीच छिद्र किसी भी स्थिति में 1.5 इन्च से ज्यादा ना छोड़ें।
- शौचालयों में वेन्ट पाइप न लगायें। वेन्ट पाइप लगाने से बदबू बाहर आयेगी तथा मल के खाद बनने की निर्वात क्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी।

शौचालय का पेन, मुर्गा/जलबंध (s-trap) एवं पैरदान

- ग्रामों में शौचालय बनाते समय रूरल पान का उपयोग करें, जिसका ढाल 32^{o} का हो तथा इसकी लम्बाई एवं गहराई क्रमशः 445 एवं 320 मि.मी. हो।
- शौचालय में शीट के साथ उपयोग होने

वाला ट्रेप एस पाईप का होना चाहिये तथा न्यूनतम वाटर सील 20 मि.मी. होनी चाहिये। ट्रेप की वाटर सील गड्ढे की दुर्गन्ध एवं कीटाणुओं को गड्ढे से बाहर आने से रोकती है।

- लीच पिट आधारित शौचालयों में “Y” जंक्शन बाक्स निर्माण लिया जाना चाहिये, जिसके आंतरिक माप 250 मि.मी. x 250 मि.मी. हों। इसका उपयोग मल को लीच पिट की ओर विवर्तित करने हेतु किया जायेगा।
- पैन के दोनों तरफ पैरदान लगाये जायें। पैरदान 250 मि.मी. लम्बा x 125 मि.मी. चौड़ा x 15 मि.मी. ऊंचा होना चाहिये।
- शौचालय के चेम्बर से गड्ढे को जोड़ने वाले पाइप का ढाल 1:10 से 1:15 का होना चाहिये तथा एक गड्ढा भरने पर चेम्बर में पाइप को शीट/ईंट से बंद किया जावे, कपड़ा आदि ठूंस कर बंद न करें।
- चेम्बर के गड्ढे को फर्शी अथवा आर.सी.सी. ढक्कन से ढका जाये।

ऊपरी भाग (सुपर स्ट्रक्चर)

- शौचालय का दरवाजा बाहर की ओर खुलना चाहिये ताकि अंदर के स्थान को कोई बाधा न पहुँचे।

बहू बेटियों का है सपना
शौचालय हो घर में अपना

नारी का सम्मान बढ़ाओ
घर में शौचालय बनवाओ

स्वच्छता जागरूकता

समुदाय की सशक्त भागीदारी जरूरी

"स्वच्छता को जीवन पद्धति में ढाला जाना बेहद आवश्यक है। इसमें समुदाय की सशक्त भागीदारी जरूरी है। प्रथम चरण में प्रदेश के 5800 गांवों में जहाँ नल-जल योजना संचालित हैं, उन्हें खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। दूसरे चरण में नये 10 हजार गांवों जहाँ नल-जल योजनाओं की शुरुआत हो रही है उन्हें तथा तीसरे चरण में शेष सभी गाँवों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त किया जायेगा। सीहोर जिले के बुधनी और धार जिले के बदनावर विकासखंड को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने का काम अब अंतिम चरण में है।"

प्रदेश में मनाये जा रहे स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत 24 फरवरी को भोपाल में निर्मल भारत अभियान पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में युवा संगठन, समुदाय आधारित संस्थाओं और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री संजीव कुमार झा ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वच्छता को जीवन पद्धति में ढाला जाना बेहद आवश्यक है। इसमें समुदाय की सशक्त भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवा संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं का आव्हान किया कि सुदूर ग्रामीण अंचलों तक स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में महती भूमिका निभायें। श्री संजीव कुमार झा ने खुले में शौच की बुराई से प्रदेश को मुक्त बनाने के लिये एकजुट प्रयासों पर जोर दिया।

कार्यशाला में राज्य कार्यक्रम अधिकारी जल एवं स्वच्छता मिशन श्रीमती हेमवती वर्मन ने प्रदेश में निर्मल भारत अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिये अपनायी गई रणनीति को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अभियान से अधिकाधिक युवाओं को जोड़ा जाना चाहिये। श्रीमती वर्धन ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से निर्मल भारत अभियान में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये इसे मर्यादा अभियान नाम दिया गया है। महिलाओं की मर्यादा तथा सम्मान की सुरक्षा से इस अभियान को जोड़ने के सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। इस अभियान के प्रथम चरण में प्रदेश के 5800 गांवों में जहाँ नल-जल योजना संचालित हैं, उन्हें खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। दूसरे चरण में नये 10 हजार गांवों जहाँ नल-जल योजनाओं की शुरुआत हो रही है उन्हें तथा तीसरे चरण में शेष सभी गाँवों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के साथ ही सीहोर जिले के बुधनी और धार जिले के बदनावर विकासखंड को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने का काम अब अंतिम चरण में है। देश के विभिन्न राज्यों में स्कूली बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिये अपनाये गये नवाचारों की जानकारी दी गई।

● **देवेन्द्र जोशी**

शालाओं में होगा

बाल केबिनेट का गठन

मध्यप्रदेश के स्कूलों में बाल केबिनेट की अवधारणा का मूल उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ अच्छी आदतों का विकास करते हुए उन्हें व्यवहार में लाने के अवसर प्रदान करना है ताकि बच्चे, अपने बाल्यकाल में ही स्वअनुशासन से स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास के व्यवहारों को सुलभता से आत्मसात कर सकें। बाल केबिनेट गठन के उद्देश्य- बच्चों में 'रचनात्मकता', निर्णय लेने की क्षमता, समस्या विश्लेषण तथा समाधान खोजने की अभिवृत्तियों का विकास करना।

बच्चों में 'स्वअभिप्रेरणा', स्वअनुशासन तथा समूह में सह पाठियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास करना।

बच्चों को ग्राम तथा विद्यालय के 'स्वास्थ्य', 'स्वच्छता', 'जल एवं पर्यावरण' की सुरक्षा तथा 'खेल एवं सांस्कृतिक' मुद्दों पर विचार व्यक्त करने, गतिविधियों का आयोजन करने एवं अनुश्रवण करने के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों में प्रजातंत्र के मूल्यों को विकसित करना। विद्यालयों में बाल केबिनेट की स्थापना के लिये विद्यार्थियों को पाँच समूह में बाँट दिया जाता है। इन्हीं समूहों में सक्रिय विद्यार्थियों की सर्वसम्मति से मंत्री पद हेतु चयन किया जाता है। कम से कम पाँच मंत्रियों में 2 बालिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का चयन वरिष्ठ कक्षा से किया जावे लेकिन यह बंधनकारी नहीं है। बाल केबिनेट की अवधि एक शैक्षणिक सत्र की होगी। नए शैक्षणिक सत्र में पुन: बाल केबिनेट का गठन किया जावेगा।

मंत्री, समूह एवं उनके कार्य : प्रधानमंत्री- प्रधानमंत्री का विभिन्न मंत्रियों एवं समूह के साथ बैठक का आयोजन कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करना, प्रतिमाह समूह की पाली बदलना (रोटेट करना) एवं कार्य आवंटित करना। शाला प्रबन्धन समिति, प्रधानाध्यापक को बाल केबिनेट के कार्यों की जानकारी देना व आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

शिक्षा मंत्री- विद्यालय में पुस्तकालय के संचालन में सहयोग करना। विद्यार्थियों के हाथ से बनी हुई वस्तुएँ (टी.एल.एम.) आकर्षक तरीके से कक्षा में सुसज्जित करना। छात्र, छात्राओं एवं नि:शक्त बच्चों को पढ़ने में सहयोग करना, सहयोगी वातावरण बनाना। सूचना पटल पर आज का विचार एवं चिंतन लिखना।

स्वास्थ्य मंत्री- विद्यालय में प्राथमिक उपचार (फस्ट एड) बाक्स संधारित करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाना। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं साफ सफाई का ध्यान रखना, साबुन से हाथ धुलाई की विशेष मानिटरिंग करना।

जल एवं स्वच्छता मंत्री - पीने के पानी की व्यवस्था बच्चों की पहुँच में रखकर सभी बच्चों को स्वच्छता के साथ उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। मध्यान्ह भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई के पाँच चरणों को सिखाना तथा प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा अनुसरण करवाना। भोजन के पूर्व और पश्चात् दस मिनिट का विशेष समय साबुन से हाथ धोने के लिए उपयोग करना। शौचालय, मूत्रालय स्थान तथा हाथ धुलाई इकाई में पानी की उपलब्धता और स्वच्छता बनाये रखना, शौचालयों को उपयोग योग्य बनाये रखने की जानकारी बच्चों को देना तथा अनुसरण करवाना। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के पश्चात् झूठन और गन्दे पानी की निकासी के उचित निपटान में सहयोग प्रदान करना। विद्यालय में व्यक्तिगत स्वच्छता का विद्यार्थियों द्वारा पालन करवाने के लिए ध्यान रखना और इसकी मानिटरिंग हेतु शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना।

पर्यावरण मंत्री- पर्यावरण जागरूकता में बच्चों की सहभागिता करवाना। विद्यालय परिसर को स्वच्छ, सुरम्य बनाने के लिए बच्चों को कार्य आवंटित करना। विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पौधरोपण करना तथा बच्चों द्वारा उनकी देखरेख सुनिश्चित कराना।

खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री- प्रतिदिन प्रार्थना और राष्ट्रगान में सहयोग करना। शिक्षकों को पीटी और योगासन में सहयोग प्रदान करना। विद्यालय में यथासम्भव खेल और कला को प्रोत्साहन देते हुए अधिक से अधिक बच्चों को सहभागिता के लिए प्रेरित करना। विद्यालय में प्रतिमाह गोष्ठी, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता करना।

● नागेश्वर पाटीदार

सीहोर जिले में स्वच्छता अभियान

सीहोर जिले में निर्मल भारत अभियान (मर्यादा अभियान) को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लेते हुए प्रथम चरण में नल-जल वाले 347 ग्रामों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। श्री संजय गोयल, तत्कालीन कलेक्टर एवं श्री कवीन्द्र कियावत वर्तमान कलेक्टर-सीहोर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय कार्यशालाओं के साथ ही, ग्राम चौपालों का आयोजन एवं विकासखण्ड स्तरीय संबंधित विभागों के जमीनी अधिकारियों, कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज जिले के लगभग 150 ग्राम शौचमुक्त हो गये हैं तथा 100 ग्राम जल्दी ही शौचमुक्त, निर्मल हो जायेंगे। इसके साथ ही संपूर्ण बुधनी विकासखंड भी शीघ्र ही शौचमुक्त हो जाएगा। इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत के निर्देशन में कई अभिनव प्रयास किये गये जिससे सफलता प्राप्त हुई है जैसे-

जिला स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

नोडल अधिकारियों द्वारा ग्राम स्तर पर चौपालों का सतत् आयोजन किया गया तथा ग्राम में स्वच्छता की कार्ययोजनाओं का निर्माण तथा लगातार अनुश्रवण किया गया। जिला स्तर के अधिकारी एवं समन्वयक श्री गणेश सिंह चौहान तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों तथा जिले के लगभग 150 ग्रामों में रात्रिकालीन चौपाल का आयोजन किया जिसमें स्वच्छता के साथ ही मर्यादा को फोकस करते हुए लोगों को समझाइश दी गई। ग्रामों में मैदानी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह संपर्क अभियान चलाया गया। ग्राम स्तर पर प्रेरकों ने परिवारों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी निभाई।

महिलाओं ने भी ग्राम चौपालों के मध्य शपथ लेकर शौचालय बनाने के लिये पुरुषों पर दबाव बनाया कि भोजन तभी देंगे जब शौचालय बनाओगे।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक शनिवार बालसभा का आयोजन किया गया। इसमें स्वच्छता एवं शौचालय की चर्चा के साथ ही शौचालय बनाने की जिद बच्चों में पैदा की जा रही है। यह बच्चे घर जाकर अपने माता-पिता से शौचालय बनाने की जिद करते हैं तथा स्कूल से छुट्टी होने पर स्वच्छता के नारे लगाते हुए रैली के रूप में घर जाते हैं। कई ग्रामों में स्कूली बच्चों की वानर सेना बनाकर खुले में शौच को जाने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के प्रयास किए गए।

जिला तथा जनपद स्तर पर दो बार लगभग 1200 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण हो।

इछावर विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भूपेश गुप्ता के नेतृत्व में मर्यादा अभियान अंतर्गत हितग्राहियों से लिया जाने वाला रु. 900/- का अंशदान के रूप में 40.00 लाख रुपयों की राशि ग्राम पंचायतों में जमा कराई गई और तेजी से कार्य किया गया है। जिला स्तर की कार्यशाला के साथ ही विकासखण्ड स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। जिले के पांचों विकासखण्डों में लगभग 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस तरह मर्यादा अभियान अंतर्गत जिले के लगभग 500 ग्रामों में शौचालय बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

बच्चे, बूढ़े और जवान
सफल करें, समग्र स्वच्छता अभियान।

ग्रामवासियों ने ठाना है,
शौचालय में जाना है।

स्वच्छ वातावरण बनाना है,
इसलिए स्वच्छता अपनाना है।

निर्मल भारत अभियान समग्र समाधान

भारत को निर्मल, समृद्ध और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया। माँग आधारित और समुदाय केन्द्रित इस अभियान में स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना, सम्प्रेषण प्रणाली से स्वच्छता सुविधाओं की मांग उत्पन्न कर गुणवत्ता पूर्वक स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में महिलाओं की मर्यादा और सम्मान को जोड़कर मर्यादा अभियान शुरू किया गया। इसमें व्यक्तिगत शौचालय, शाला, आंगनवाड़ी तथा तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य शामिल हैं। निर्मल भारत अभियान को लेकर लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो कुछ जानने की जिज्ञासा भी है। इस आलेख के माध्यम से निर्मल भारत अभियान को लेकर जुड़े सभी पक्षों पर उठने वाले सवालों के जवाब देने का प्रयास किया गया है। अपेक्षा है कि यह आलेख पंचायत अमले के साथ आम लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

- **निर्मल भारत अभियान एवं मर्यादा अभियान क्या है?**

निर्मल भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाया जाने वाला मांग आधारित एवं समुदाय केन्द्रित अभियान है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय के लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये लोगों की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शौचालय विकल्पों को उपलब्ध कराया जाता है। इसका लक्ष्य एक सुदृढ़ एवं प्रभावकारी शिक्षा, सूचना एवं संप्रेषण प्रणाली के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं की मांग उत्पन्न करना, गुणवत्ता पूर्वक स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। मध्यप्रदेश में स्वच्छता की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसे महिलाओं की मर्यादा से जोड़कर 'मर्यादा अभियान' की शुरुआत की गई है। अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, शाला, आंगनवाड़ी तथा तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जाते हैं।

- **ग्राम को पूर्णतः खुले में शौच मुक्त क्यों करना है?**

स्वच्छता के अभाव में -

80 प्रतिशत बीमारियां साफ पानी नहीं पीने तथा स्वच्छता के अभाव में होती हैं।

बच्चों में पोलियो खुले में मल त्याग करने से होता है।

डायरिया, मलेरिया, डेंगू, कृमि इत्यादि दूषित जल से फैलते हैं।

विश्व में 30 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं।

भारत में प्रति 80 सेकेण्ड में एक जिन्दगी समाप्त होती है।

180 करोड़ मानव घण्टों की बरबादी स्वच्छता के अभाव में होती है।

विद्यालयों में स्वच्छता सुविधा नहीं होने के कारण 70 प्रतिशत लड़कियों को 9 वर्ष की उम्र के बाद विद्यालय छोड़ना पड़ता है।

विश्व में विद्यालयों में जाने वाले 40 करोड़ बच्चे पेट के रोग से ग्रसित होते हैं।

प्रतिवर्ष भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 4 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं इसलिए ग्राम को पूर्णतः शौच मुक्त करना है।

- **सदियों से हमारे गांव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है तथा हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो हमें फिर शौचालय क्यों बनाना चाहिए?**

ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करना एक पुरानी प्रथा है, लोगों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है परन्तु बहुत सारे अध्ययनों और वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण अस्वच्छता एवं खुले में मल त्याग करना है। एक ग्राम मल में एक करोड़ वायरस तथा 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। ये वायरस एवं बैक्टीरिया, मक्खी के साथ भोजन के माध्यम से मनुष्यों में प्रवेश कर बीमार कर देते हैं। पोलियो शौच के माध्यम से फैलता है। इसके अलावा शौचालय के अभाव में महिलाओं को विशेषकर सबसे अधिक कठिनाई होती है जिन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। सांप, बिच्छू तथा उनके सम्मान का खतरा भी बना रहता है। अतः शौचालय बनाना आवश्यक है।

- **घर के आसपास शौचालय निर्माण से तो और गंदगी फैलेगी?**

यह गलत धारणा है। सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में मल का सुरक्षित निपटान होता है साथ ही इससे कोई बदबू नहीं आती। खुले में शौच करने से मानव मल पानी, मक्खी, हाथों, जानवरों के पैरों आदि माध्यमों से हमारे पास पहुंचने का खतरा बना रहता है किन्तु सोख्ता वाले शौचालय एकदम सुरक्षित एवं स्वच्छ हैं।

- **निर्मल भारत अभियान में क्या प्रावधान है?**

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में संचालित मर्यादा अभियान के तहत प्रत्येक घर में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय निर्माण का प्रावधान है। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए रुपये 4600/- निर्मल भारत अभियान तथा रुपये 5400/- का प्रावधान मनरेगा एवं रुपये 900 हितग्राही का अंशदान है। हितग्राही चाहे तो इस राशि के ऊपर भी स्वयं खर्च करके बेहतर शौचालय निर्माण कर सकता है।

- **निर्मल भारत अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु किन-किन को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।**

निर्मल भारत अभियान अंतर्गत निम्नानुसार वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता मिलती है -

अनुसूचित जाति बी.पी.एल., ए.पी.एल.

अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल., ए.पी.एल.

सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.

लघु व सीमान्त कृषक

ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार

शारीरिक रूप से निःशक्त

परिवार का मुखिया यदि महिला हो

अभियान के अंतर्गत तकनीकी सहायता एवं अन्य जानकारियां हर वर्ग

के परिवारों को प्रदाय की जाती हैं।

- **गड्ढे वाले शौचालय की आयु क्या है?**
  एक गड्ढा जो 3 फीट व्यास तथा 4 फीट गहरा हो, अगर एक परिवार के 6-8 सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता हो तो कम से कम गड्ढे को भरने में 4-5 साल लगेंगे। एक बार गड्ढा भर जाये तो इसे बन्द कर देना चाहिए। तथा दूसरा गड्ढा इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिये। 15 से 18 माह के बाद मल जैव उर्वरक (खाद) बन जाएगा। इस खाद में न तो कोई गन्दगी होगी तथा न ही कोई हानिकारक जीवाणु। इसका उपयोग खेत एवं बागानों में किया जा सकता है या बेचा भी जा सकता है।
- **शौचालय के ऊपरी हिस्से में रोशनदान (वेंन्टिलेशन) देने की क्या आवश्यकता है?**
  शौचालय के ऊपरी हिस्से में क्रास वेन्टिलेशन हेतु जगह दी जाना अति आवश्यक है इससे शौचालय में हवा एवं रोशनी आती है। साथ ही इससे बदबू भी नहीं आती। ऊपर के भाग में छत से थोड़ा नीचे ईंटों की चुनाई में जगह छोड़कर रोशनदान (वेन्टिलेशन) बनाये जा सकते हैं।
  दरवाजे भी रोशनदान (वेन्टिलेशन) वाले ही उपयोग किये जाने चाहिये। रोशनदान (वेन्टिलेशन) पीछे एवं बाजू की दीवारों में दिये जा सकते हैं।
- **क्या गड्ढे की गहराई बढ़ाना लाभदायक है?**
  अगर हम गड्ढे की गहराई बढ़ायेंगे तो भूमिगत जल प्रदूषित होगा। इसके साथ 3 फीट चौड़ा एवं 4 फीट गहरा गड्ढा 1 परिवार के उपयोग के लिये पूर्णतः अनुकूल है। इसके निर्माण से लागत में भी वृद्धि होगी, अधिक गहराई पर डिकम्पोजिशन (मल के खाद बनने की प्रक्रिया) सही ढंग से नहीं हो पायेगा चूंकि वहाँ पर्याप्त सूर्य की रोशनी के माध्यम से ऊष्मा नहीं पहुँच पाएगी तथा जो खाद बनेगा उसे निकालने में कठिनाई होगी। अतः गड्ढे की गहराई बढ़ाना लाभदायक नहीं है। चूंकि दो गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है इसलिये एक गड्ढा भर जाने पर दूसरे गड्ढे से शौचालय का उपयोग जारी रखा जा सकता है।
- **क्या गड्ढे वाले शौचालय में वेन्ट पाइप लगाने की जरूरत है?**
  सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में वेन्ट पाइप लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि गड्ढे वाले शौचालय के किनारे की दीवार में छिद्र होते हैं जिसके द्वारा गैस मिट्टी में अवशोषित हो जाती है। वेन्ट पाइप लगाने से मक्खी के लीच पीट में प्रवेश करने का खतरा एवं दुर्गन्ध से वायु प्रदूषण होने की संभावनायें होती हैं। वेन्ट पाइप की आवश्यकता सेप्टिक टैंक शौचालयों में होती है।
- **घर बनाने के लिये तो पर्याप्त जगह है नहीं शौचालय बनाने के लिये जगह कहां से आयेगी?**
  यह धारणा है कि शौचालय बनाने के लिये ज्यादा जगह की जरूरत होती है क्योंकि हम सेप्टिक टेंक शौचालय को ही जानते हैं परन्तु हमें यह मालूम होना चाहिये कि गड्ढे वाले शौचालय का निर्माण मात्र 1 मीटर व्यास में भी किया जा सकता है। अतः थोड़ी सी ही जगह में इस तरह के शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है। चूंकि यह जलबंद (वाटरसील) शौचालय है अतः इससे बदबू भी नहीं आती है।
- **यदि एक शौचालय को 6-8 सदस्य उपयोग करते हैं तो क्या उससे पानी बाहर आने लगेगा?**
  नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोख्ता गड्ढा शौचालय एक दिन में 60 से 70 लीटर पानी आराम से सोख सकता है। परन्तु इस प्रकार के शौचालय में पानी की कम मात्रा का उपयोग करना चाहिये।
- **शौचालय के उपयोग के लिये पानी कहां से लाये?**
  मध्यप्रदेश के प्रत्येक ग्राम में हैण्डपंप के द्वारा तो पानी की उपलब्धता की व्यवस्था है। सोख्ते गड्ढे वाले ज्यादा ढलान के पैन वाले शौचालय में कम पानी की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण की डिजाइन में टंकी का भी प्रावधान किया गया है जिसमें पानी भरकर रखा जा सकता है।
- **शौचालय के दोनों गड्ढों के बीच में कितनी दूरी होना चाहिये?**
  शौचालय के दोनों सोख्तों गड्ढों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी होना चाहिये।
- **शुद्ध पेयजल स्त्रोत से शौचालय की कम-से-कम कितनी दूरी होनी चाहिये?**
  शौचालय के गड्ढे की दूरी पेयजल स्त्रोतों से जैसे हैंडपंप, कुआं, बावड़ी, इत्यादि से न्यूनतम 10-15 मी. होना चाहिये। यदि पेयजल स्त्रोत, गड्ढे (पिट) की तुलना में ऊंचाई पर (अपस्ट्रीम में) है तो न्यूनतम दूरी 10 मी. होना चाहिये एवं यदि पेयजल स्त्रोत की तुलना में गड्ढा ऊंचाई पर (स्त्रोत डाउनस्ट्रीम में) है, तो दूरी न्यूनतम 15 मी. होना चाहिये, जिससे पेयजल स्त्रोत प्रदूषित न हो।

निर्मल भारत अ

73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, स्वच्छता को 11वीं अनुसूचित में शामिल किया गया है। अतः निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है। कार्यक्रम का संचालन सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। शौचालयों के निर्माण के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करना और अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ बनने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए पंचायत राज संस्थाएं पारस्परिक आईईसी तथा प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों की मदद ले सकती हैं। निर्मल भारत अभियान के तहत बनाए गए स्वच्छता परिसरों का रखरखाव पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों, परोपकारी न्यासों द्वारा किया जा सकता है। पंचायतें निर्धारित राशि के अतिरिक्त विद्यालय स्वच्छता के लिए अपने संसाधनों से भी अंशदान दे सकती हैं। वे निर्मल भारत अभियान के तहत सृजित परिसंपतियों जैसे - सामुदायिक परिसरों, पर्यावरण घटकों, निकासी इत्यादि के संरक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायतें उत्पादन केन्द्र, ग्रामीण स्वच्छता बाजार भी खोल सकती और संचालित भी कर सकती हैं। ग्राम पंचायतें शौचालयों के नियमित इस्तेमाल, उनके रखरखाव तथा उन्नयन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए परस्पर चर्चा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ही निर्मल भारत अभियान के सभी घटकों अर्थात जल स्त्रोत और शौचालय के बीच दूरी निजी पारिवारिक शौचालय के लिये निर्धारित न्यूनतम दूरी का अनुपालन, विद्यालय और आंगनवाड़ी शौचालय तथा स्वच्छता परिसर, प्रदूषण को रोकने के लिए गड्ढे की गहराई, गड्ढे के संरेखण का नियमन, गड्ढे का भरा जाना इत्यादि के संबंध में सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाता है। यह बातें साफ-सफाई संबंधी प्रमुख आदतों जैसे हैंडपम्पों, जल स्त्रोतों के चारों ओर पर्यावरण को साफ और मानव तथा पशु मल से मुक्त रखना, पर भी लागू होती हैं। ग्राम पंचायतों की निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है।

गाँव-गाँव यह नारा है,
निर्मल ग्राम हमारा है।

खुशियों की छाँव
साफ-सुथरे गाँव

ग्राम पंचायतों के दायित्व

- पंचायत द्वारा घर-घर जाकर स्वच्छता सुविधा का अनुश्रवण कर सार्वजनिक स्थान पर उसका प्रदर्शन करना।
- ग्राम सभा में खुले में शौच करने पर जुर्माना हेतु उपनियम बनाना एवं उक्त नियम को लागू करने हेतु प्रस्ताव पारित करना।
- घर-घर जाकर स्वच्छता सुविधा हेतु लोगों को सक्रिय करना।
- सुनिश्चित करना कि निर्माण सामग्री हितग्राही एवं ग्रामों तक पहुँचे।
- आरंभ से अंत तक गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण सुनिश्चित करना।
- समुदाय के अनुश्रवण/निगरानी का चार्ट बनाने में सहयोग करना।
- बच्चों की स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय करना यदि पूर्व में उन्हें सक्रिय नहीं

...भियान में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका

किया गया हो।

- शालाओं में बाल मंत्रिमंडल का गठन करना।
- बच्चों की रैली, आस-पास के खुले में शौच मुक्त ग्रामों के स्वाभाविक नेताओं द्वारा ग्राम में भ्रमण कर ग्रामीणों के साथ अनुभव बांटना एवं निर्माण में सहयोग करना।
- रात्रिकालीन बैठक एवं विश्राम।
- फिल्म शो।
- एक्सपोजर विजिट।
- ग्रामीण हाट बाजार में साप्ताहिक भ्रमण।
- ग्राम पंचायतें यह ध्यान रखें कि गाँव की सड़कों और नालियों की रोज सफाई हो, कचरा एकत्र कर कचरा पेटियों में डाला जाये। इससे गाँव में स्वच्छता रहेगी और ग्रामीणों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
- खुले में शौचालय की आदत को बदलकर घरों में शौचालय बनवाना, जहाँ जगह कम हो वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाये।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूल भवन में शौचालय का निर्माण करवाना। शौचलाय स्वच्छ रहें इसके लिए हैंडपम्प से फोर्स लिफ्ट पंप को जोड़कर शौचालय की छत पर रखी गयी टंकी में पानी पहुँचाने का इंतजाम करना।
- पंचायतों को स्कूल भवन में शौचालय बनाने के लिए समग्र स्वच्छता अभियान के जरिए 35,000/- की राशि मिलती है। यदि छात्र-छात्राएँ दोनों पढ़ते हैं तो इस स्थिति में अलग-अलग शौचालय निर्माण के लिए 70,000/- रुपये की राशि मिलेगी ताकि छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण हो सके।
- पंचायतों को सरकारी भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय बनाने के लिए 8000 की राशि मिलती है अत: आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण की सुनिश्चितता हो।
- शाला शौचालय की नियमित सफाई के लिए पंचायत की ओर से सफाईकर्मी नियुक्त करना।
- शाला में आकस्मिक भ्रमण कर शौचालय की सफाई, मध्यान्ह भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोने तथा पीने के पानी और स्वच्छता के लिए पानी की व्यवस्था की निगरानी करना। उसमें कमी होने पर ठीक करवाना।
- गाँव में आंगनवाड़ी भवन और शौचालय की सुरक्षा के लिए गाँव के कोटवार, निगरानी समिति को निर्देशित करना।
- आंगनवाड़ियों में बच्चों की दी जाने वाली स्वच्छता शिक्षा का अनुश्रवण।
- शाला शौचालय में आवश्यक रिपेयर और मेन्टेनेन्स के लिए शालेय आकस्मिक निधि से संयोजन कर भुगतान की व्यवस्था करना।
- पंचायत की पहल पर गाँव का कूड़ा-करकट एकत्र करना, नाडेप, सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया जाये।
- ठोस एवं तल अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन करना।

• **रवीन्द्र स्वप्निल**

कार्ययोजना तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को शामिल किया जा सकता है : 1. खुले में शौच जाने वालों के साथ फॉलोअप करने की जिम्मेदारी, 2. शौचालय सहित परन्तु खुले में शौच जाने वालों के साथ फॉलोअप करने की जिम्मेदारी, 3. सुबह/शाम अथवा दिनभर निगरानी करने की जिम्मेदारी, 4. समुदाय के साथ सुबह/शाम अनुश्रवण एवं बातचीत करने हेतु समय व दिन का निर्धारण। 5. प्रथम 'गर्व की यात्रा' किये जाने वाले दिन का निर्धारण, 5. आवश्यक शौचालय निर्माण सामग्री की मात्रा (शौचालय की विभिन्न तकनीकी विकल्पों एवं प्रकार x हितग्राहियों की संख्या), 6. कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी, 7. गांव के राजमिस्त्रियों का चिन्हांकन, 8. गांव में विभिन्न स्तरों की (संख्या एवं कुशलता) कमी को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण इत्यादि, 9. भण्डारण एवं बंटवारे की जिम्मेदारी, 10. गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, 11. नवनिर्मित शौचालय के उपयोग की जाँच की जिम्मेदारी, 12. अन्य आकस्मिक समस्याओं के लिए जिम्मेदारी।

समुदाय के बढ़ते कदम

खुले में शौच से मुक्ति के लिए ...

भारतीय संस्कृति में समुदाय आधारित रिश्ते और रिश्तों की आड़, एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है जहां, संयुक्त परिवार प्रणाली से उपजे संस्कारों का दायरा, घर की चौखट से निकल कर गांव और समाज तक फैलता है। घर के रिश्ते पास-पड़ोस और समाज के व्यक्तियों में भी काका-ताउ, दादी-बुआ के नाम से आत्मीयता और सम्मान पाते हैं। घर की बेटियों के पति पूरे गांव में दामाद का सम्मान पाते हैं तो गांव के बुजुर्गों को घर की औरतें घूंघट की ओट लेकर और बच्चे पालांगी करके सम्मान देते हैं।

भारतीय समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के भाव भी हमें ग्रामीण बसाहटों की शुरुआत से ही देखने को मिलते हैं। जब कच्ची मिट्टी की दीवारों और फर्श से बने घरों में, तीज त्योहारों के रीति रिवाजों के मान से, कीटनाशक के रूप में गोबर की लिपाई, फर्श और दीवारों के जोड़ों की संधियों में चाक मिट्टी की ढिग देने का प्रचलन था। खपरैल की छत ऐसी बनाते थे कि बरसात का पानी तो अंदर ना आए पर चूल्हे का धुआं बाहर निकल जाए। फिर भी कहीं कीट मकोड़े हो जाएं तो नीम का कड़वा धुआं करने के नुस्खे आज भी गांव के बुजुर्ग तत्काल बता देंगे।

कुल मिलाकर हमारी आदतें और रिवाज एक सभ्य, संस्कारित और जागरूक समाज के रूप में हमें परिभाषित करने के लिए काफी हैं। ऐसे में समाज की एक बात हमेशा खटकती है इस समाज की, वो है खुले में शौच जाने की आदत की। आखिर जिस समाज में रिश्तों की आड़ को महत्व दिया जाता हो, जिस समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर त्योहारों की रीतियों के रूप में ध्यान केन्द्रित किया गया हो, जिस समाज में पेड़-पौधों के संरक्षण को धर्म कहा हो वहां यह एक बुरी बात कैसे छूट गई। वो भी ऐसी जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मान-सम्मान सब पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कारण कुछ भी रहे हों, मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि यह एक व्यवहारजनक समस्या है, जो लम्बे समय से देखते और करते रहने से किसी की आदतों में शुमार हो जाती है। ऐसी समस्याओं के निदान के लिए भी व्यवहार परिवर्तन के सहारे की गई कोशिशें सफल होती हैं। ऐसी एक तकनीक है, समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता (CLTS) जो समुदाय के व्यवहार परिवर्तन के लिए कारगर सिद्ध हुई है।

खुले में किये जा रहे मानव मल से मुक्ति पाने और इस पुरानी आदत को बदलने के लिए समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी अवधारणा का विकास कृषि वैज्ञानिक श्री कमलकार द्वारा किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए महसूस किया कि समाज के सम्पुर्ण विकास के लिए स्वस्थ समाज की जरूरत है और स्वस्थ्य समाज को स्थापित करने में मुख्य बाधा अस्वच्छता और अशुद्ध पेयजल है। स्वच्छता का मुद्दे पर सम्पूर्ण समाज को कार्य करने की आवश्यकता है ये चंद व्यक्तियों के करने से नहीं होगा क्योंकि यदि किसी गांव में एक व्यक्ति के द्वारा भी खुले में शौच किया जा रहा है तो उस एक व्यक्ति के कारण पूरा गांव ही खतरे में होता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। यह विधि सहभागी ग्रामीण अध्ययन विधि पर आधरित है। स्वच्छता के प्रति जन समुदाय को संवेदनशील एवं उत्तारदायी बनाने एवं स्थायी व्यवहार परिवर्तन करने में सी.एल.टी.एस. विधि दुनिया के 50 से अधिक देशों सहित भारत के अनेक राज्यों में अपनाई गई है।

समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता के द्वारा समुदाय से उनकी स्वच्छता संबंधी व्यवहार का आत्मविश्लेषण करवाया जाता है एवं उनमें अन्त:प्रेरणा की आग पैदा की जाती है जिससे समुदाय अपनी इस खुले में शौच की आदत का स्वयं विश्लेषण कर सके, इसके दुष्परिणामों का आकलन कर सके और न सिर्फ ये व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन का प्रश्न होकर रहे बल्कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन का मुद्दा बन सके, समाज के हर तबके की आदत को बदलने के लिए एक सोच, एक विचार जन्म ले सके।

स्वच्छता की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण ग्रामीण समुदाय के बीच किया जाता है, जिससे समुदाय खुले में शौच की आदत के कारण स्वयं घृणा और शर्म का अहसास करता है और अस्वच्छता के कारण समूचे समुदाय तथा समाज पर पड़ने वाले

ग्राम रिधौरा

स्वच्छ और सुन्दर बना

कहानी छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत सौंसर ग्राम रिधौरा की है। इस ग्राम की जनसंख्या 965 है। इसमें सभी जातिवार लोग निवास करते हैं। रिधौरा के सरपंच श्री बबलु केचे ने बताया कि निर्मल भारत अभियान अंतर्गत मर्यादा अभियान से गांव में सभी परिवारों में शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया है। पहले शौच के लिए सब बाहर जाते थे, लेकिन अब सभी शौचालय का उपयोग कर रहे हैं

जागरूकता लाने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया, स्वच्छता के संदेश दिए, नुक्कड़ नाटक का आयोजन तथा ग्राम पंचायत सभा मंच पर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा तैयार की गई जानकारी समुदाय के लोगों तक पहुंचाई गई। उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया। प्रचार-प्रसार हेतु ढोल बजाकर (मुनादी करके) लोगों को सूचित करना, चलते-फिरते लाउड स्पीकरों के माध्यम से जानकारी दी गई। सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारी तथा समस्त ग्रामवासियों का निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरपंच द्वारा घर-घर जाकर शौचालय निर्माण करवाने और उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। जिला एवं ब्लाक समन्वयक द्वारा भी ग्राम सभा आयोजित करवाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

ग्राम पंचायत का कोई भी पुरुष, महिला अथवा बच्चे खुले में शौच करते पाए जाते हैं तो उनसे 100 रुपये का जुर्माना लिया जाना तय किया गया। इसकी पूरी निगरानी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव, रोजगार सहायक, मेट द्वारा की जाती है। ग्राम में स्वच्छता हेतु तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयास किये गए हैं।

ग्राम की शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में सफाई एवं स्वच्छता हेतु सफाई कर्मचारी रखे गये हैं। विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए शालाओं में बाल संसद का गठन हुआ जिससे स्वच्छता का वातावरण पैदा हो सका। विद्यालय तथा आंगनवाड़ी प्रेरणा और शिक्षा के माध्यम से खुले में शौच करने की आदत की जगह शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के व्यवहार सोच के लिए प्रेरित किया गया है।

ग्राम में निर्मल भारत अभियान (मर्यादा अभियान) से खुले में शौच मुक्त एवं स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है। ग्रामवासियों को भी इसकी अनुभूति हुई है। इस प्रकार पूरे ग्राम में एक स्वच्छता की लहर चली है और ग्रामवासियों में बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक गांव में स्वच्छता रखने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्रामीण स्वच्छता बाजार लगाकर, समुचित स्वच्छता एवं साफ-सफाई के बारे में बच्चों को आवश्यक जानकारी देकर, बसाहटों, ग्रामों, ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम बनाने के लिए प्रयास किये गये।

दुष्परिणामों की विस्तृत चर्चा होती है जिससे समुदाय अपनी स्थिति को भांप कर और इसकी भयावहता को समझते हुए व्यवहार परिवर्तन के लिए विचार कर एक मत से निर्णय लेकर सुधार तथा परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास करता है।

समुदाय के भीतर स्वप्रेरणा उत्पन्न करने और स्वच्छता को व्यक्तिगत मुद्दा न मानते हुए सामुदायिक मुद्दा मानकर, एकजुट होकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने हेतु संकल्पबद्ध करने के लिए समुदाय को प्रेरित किया जाता है। इस कार्य को सफल करने के लिए कुछ तरिके अपनाये गये हैं जिन्हें हम ट्रिगर टूल्स कहते हैं। ये ट्रिगर टूल्स स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण को ध्यान में रखकर अपनाये जाते है और हर समय नये ट्रिगर टूल्स के आविष्कार की गुंजाइश रहती है क्योंकि व्यक्ति या समुदाय किस परिस्थिति में, किस बात से और किस विचार से स्वयं को बदलने के लिए तैयार होगा, ये भांपने के पश्चात ही ट्रिगर किया जाता है।

जब समुदाय ट्रिगर होता है उसे अपनी खुले में शौच की आदत के कारण ये अहसास होता है कि वो अनजाने में गंदगी और उसके द्वारा खुले में छोड़े जा रहे मल को खा रहे हैं जिससे मानव योनि में जन्म लेने के उपरान्त भी वो जानवरों से प्रतीत हो रहे हैं। समुदाय महसूस करता है कि उसकी मेहनत से कमाया धन का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी खुले में शौच की आदत के कारण हो रही बीमारियों के उपचार पर खर्च हो रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समुदाय महसूस करता है कि इस आदत के कारण उनकी माँ, बहन-बेटियाँ हर रोज खतरे में रहती है और असामाजिक तत्वों के निशाने पर होती है। उनकी अपनी मर्यादा भंग होती है और जब वे खुले में शौच करते हुए किसी के द्वारा देखे जाते हैं उस समय उनका सम्मान तार-तार होता है। समुदाय ये समझ पाता है कि उनकी धार्मिक आस्था भी खुले में शौच की आदतों के कारण आहत हो रही है तो वे अपनी इस बेकार की आदतों को बदलने के लिए प्रयासरत होते हैं और समुदाय से ही स्वाभाविक नेताओं का उदय होता जो सम्पूर्ण स्वच्छता लाने और गांव को खुले में शौच मुक्त

सफल हुए जशोदा और हेमलता के प्रयास

जिला मुख्यालय सीहोर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कुलांसकला के आश्रित ग्राम सिकन्दरगंज में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के संयुक्त प्रयासों से निर्मल भारत अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामों में रात्रिकालीन चौपालों एवं मीटिंग आयोजित करने से ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनी। ग्राम सिकन्दरगंज में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती हेमलता एवं पंच श्रीमती जशोदा बाई के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं लोगों को खुले में शौच के नुकसान तथा अपनी मान मर्यादा भंग होने के बारे में बताने से लोगों में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता बनी। ग्राम में कुल 28 परिवार निवासरत हैं जिनमें से किसी भी परिवार के पास शौचालय नहीं बना था और सभी लोग खुले में शौच कर रहे थे। ग्राम की पंच श्रीमती जशोदा बाई को जब ये अहसास हुआ कि खुले में शौच जाने से मर्यादा भंग होती है और खतरा बना रहता है तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर पर शौचालय बनवाया और इनके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग शुरू हुआ। इसके बाद ही इन्होंने ग्रामीणों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया। ग्राम की शिक्षिका श्रीमती हेमलता द्वारा घर-घर सम्पर्क कर लोगों को गन्दगी एवं खुले में शौच से मुक्ति हेतु समझाया। ग्राम की महिलाओं के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमें प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर महिलाओं से समूह चर्चा की जाती रही। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा आयोजित मीटिंगों में भाग लेने एवं सतत् मानिटरिंग करने के फलस्वरूप ग्रामीणों में जागरूकता का माहौल बना, जिससे सभी ने एक साथ संकल्प लिया कि हम अपने ग्राम से गन्दगी मिटायेंगे और पूरे ग्राम को खुले में शौच से मुक्त करके ही दम लेंगे। माह नवम्बर 2013 को ग्राम में निवासरत समस्त 28 परिवारों के घरों में शौचालयों का निर्माण कर लिया गया। वर्तमान में ग्राम की महिलाओं ने बताया कि अब हम सभी सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्राम से गन्दगी दूर होने एवं लोगों के द्वारा शौचालयों का उपयोग करने के कारण लोगों का समय भी बच रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई एवं बीमारी से भी लोगों को राहत मिली है। निर्मल भारत अभियान अंतर्गत ग्रामीणों को लाभ मिला है।

करने के लिए कमर कस लेते हैं। समुदाय अपने गांव की स्वच्छता को स्थापित करने के लिए स्वाभाविक नेताओं और अन्य जुझारु लोगों की एक समिति बनाते हैं, सभी लोगों के साथ विचार-मंथन कर गांव की स्वच्छता कार्य योजना बनती है और प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदारी तय होती है। शौचालय निर्माण हेतु राजमिस्त्रियों की और सामग्री की व्यवस्था ग्राम स्तर पर की जाती है। सभी एक-दूसरे का सहयोग करते हैं और कार्य की प्रगति पर भी सहभागी ढंग से निगरानी करते हैं। कुछ ही दिनों में समुदाय खुले में शौच करने की कुप्रथा से मुक्ति पा जाता है और समुदाय गर्व के भाव से भर जाता है और समझ जाता है कि यदि एक होकर कार्य करें तो हर कार्य सम्भव है। ग्रामीण समुदाय खुले में शौच मुक्त होने पर उत्सव मनाते हैं और अन्य समुदाय को इस उत्सव में शामिल करते हैं ताकि वे भी प्रेरित हो अपने आप को खुले में शौच मुक्त कर सकें।

खुले में शौच मुक्ति की यात्रा में समुदाय के ही प्रयास होते हैं बाहरी व्यक्तियों या संस्था की भूमिका केवल सहजकर्त्ता की होती है। ट्रिगर समुदाय स्वयं अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती है और निश्चित सफल होती है। ऐसे ही एक आत्मसम्मानी समुदाय का मेरा अपना अनुभव मैं बताती हूँ। ये झारखण्ड राज्य के लोहरदगा विकासखंड के मन्हू ग्राम पंचायत का बक्शी ग्राम का समुदाय था। इस ग्राम में पहले शासन के द्वारा शौचालय निर्माण कराया गया था परन्तु जब मैं इस समुदाय से मिली तब सभी लोग खुले में ही शौच करते थे और शासन के दान के शौचालयों का नामो निशान भी नहीं था।

समुदाय के साथ सी.एल.टी.एस. विधि से ट्रिगर किया गया और समुदाय को ये अहसास हो गया कि हमारी दुख-बीमारी के पीछे ये खुले में छोड़ा हुआ मल ही है जो हमारे अथक मेहनत से कमाये धन को खा रही है और जान लेवा बन रही है।

इसी समुदाय से राजू, लक्ष्मण, रीना, नागेश्वर, झुमकी, कोयल गांव का पठान और टीचर आगे आये और गांव को 20 दिनों में खुले में शौच मुक्त करने का संकल्प लिया। फिर गांव की बैठक ली और ग्राम पंचायत सरपंच को भी इस अभियान और अपने संकल्प के बारे में बताया। शुरुआत में सरपंच श्रीमती बसंती बाई ने कोई रुचि नहीं ली पर लोगों के मन में बात लग गई थी तो वे सभी मल के सही उपचार में लग गये। पैसे की कमी थी परन्तु दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसके चलते हर घर में शौचालय निर्माण हेतु गड्ढे खोदे गये और घर की बाड़ियों में लगे बांस से ही गड्ढे को बांधा गया और गड्ढे को ऊपर से मजबूती के साथ छापा गया और बीच में एक छिद्र छोड़ दिया और उसके लिए एक ढक्कन बना दिया। आस-पास बांस से या कपड़े से आड़ दी गई। बांस का दरवाजा और उनका शौचालय एक दिन में तैयार होने लगा। बस लोग शौच जाते उस पर मुट्ठी भर राख डालते और ढक्कन को ढंक देते।

समुदाय 18 दिनों में खुले में शौच मुक्त होगा ये खबर आग की तरह फैल गई अब सरपंच बसंती देवी भी पूरे जोश के साथ अपने लोगों का उत्साहवर्धन कर रही थीं और सहयोग कर रही थीं। बहुत अच्छे से शौचालय कार्य कर रहे थे परन्तु आंधी और तूफान में ये शौचालय टिक नहीं पाये और उखड़ गये। अब लोगों ने पक्के और मज़बूत शौचालय बनाने की योजना तैयार की जिसके लिए हर परिवार कम से कम रुपये 4000/- का खर्च अनुमानित आया। इस समय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड ने निर्मल भारत अभियान के रिवाल्विंग फंड से ग्राम स्वच्छता समिति को रुपये 2 लाख का कर्ज दिया जिसे 18 माह की किश्तों में चुकना था।

94 परिवारों में पक्के शौचालय निर्माण का कार्य लोगों ने अथक मेहनत से पूरा किया। गांव के युवाओं ने मिस्त्री का काम किया, नागेश्वर और लक्ष्मण ने थोक विक्रेताओं से सम्पर्क कर सामग्री कम दाम में उपलब्ध कराई, गांव की महिलाओं ने बांस के दरवाजे बनाये और सुन्दर शौचालय तैयार हुआ। गांव से सभी परिवार रुपये 300/- प्रति माह की किश्त विभाग को दे रहे हैं। विभाग द्वारा समुदाय के सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार के तौर पर सोलर पानी प्रदाय यंत्र दिया है।

आज ग्रामीण समुदाय ग्राम बक्शी अन्य समुदायों को भी राह दिखा रहा है।

● **आस्था अनुरागी**

पाँच की पाठशाला : साबुन से हाथ ध

यह साबित हो चुका है कि व्यक्तिगत स्वच्छता समुदाय में रोगों के संचरण को कम करती है। देश में बच्चों की मृत्यु के लिए दो महत्वपूर्ण कारण हैं- डायरिया और श्वसनतंत्र संक्रमण। केवल भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 600 बच्चों की प्रतिदिन मृत्यु होती है। महत्वपूर्ण समय पर साबुन से हाथ धोने से 80 प्रतिशत डायरिया एवं एक-तिहाई श्वसन तंत्र संक्रमण होने से बचा जा सकता है। महत्वपूर्ण समय पर साबुन से हाथ धुलाई एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक अभ्यास होने के बाद भी कभी-कभी या बहुत कम प्रचलन में है। शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ हाथ, स्वच्छ घरों और स्वच्छ जीवन को सामाजिक मानदंड के रूप में शामिल करने के लिये प्रयास किये जाएं।

इसी को ध्यान में रखते हेतु मध्यप्रदेश में बच्चों में तथा उनके परिवारों में महत्वपूर्ण मौकों पर साबुन से हाथ धोने के लिए यूनिसेफ और हिंदुस्तान यूनीलिवर के सहयोग से 'पाँच की पाठशाला' कार्यक्रम के लिये भागीदारी की गयी। वर्ष 2013 में गुना तथा शिवपुरी जिलों के सभी ग्रामों और टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकासखण्ड के सभी ग्रामों में यह कार्यक्रम पायलेट के रूप में क्रियान्वित किया गया। इस कार्यक्रम को तीनों जिलों के 6 लाख बच्चों तथा उनके माध्यम से उनके परिवारों के 30 लाख सदस्यों तक स्वच्छता की जानकारियों को भेजने के लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी 2013 में गुना, शिवपुरी जिले के सभी विद्यालयों तथा टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़

ोने को बढ़ावा

विकासखण्ड के सभी विद्यालयों में 21 दिवसीय व्यवहार परिवर्तन अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान अंतर्गत बच्चों में जनजागृति लाने के लिए रणनीतिगत रूप से तैयार की गई विधियों तथा संचार सामग्रियों का उपयोग किया गया। 21 दिवसीय अभियान के दौरान मुख्य रूप से निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया -

साफ दिखने वाले हाथ जरूरी नहीं कि साफ होते हैं : इस गतिविधि के माध्यम से साफ दिखने वाले हाथों में भी 'ग्लो जर्म' किट के माध्यम से दिखाया गया कि नग्न आंखों से साफ दिखने वाले हाथ साफ नहीं होते हैं, जिससे बच्चों में रोचकता बढ़ी, साथ ही उन्हें साबुन से हाथ धुलाई के लिये प्रेरित किया।

शपथ ग्रहण : अपने संगी-साथियों के साथ महत्वपूर्ण समय पर साबुन से हाथ धुलाई की शपथ ग्रहण करना भी एक प्रकार की प्रतिबद्धता है जिसके माध्यम से बच्चों द्वारा शपथ को क्रियाकलाप में परिवर्तित किया। शपथ के लिये विशेष प्रकार की शारीरिक भंगिमाओं को पोस्टर के माध्यम से बच्चों को समझाया गया यह उनके लिए सीखने का दिलचस्प अनुभव रहा।

21 दिवसीय अभियान : 21 दिवसों तक लगातार कहानियों, कार्टून तथा विभिन्न प्रदर्शन गतिविधियों के माध्यम से साबुन से हाथ धुलाई पर बच्चों से चर्चा की गई तथा साथ ही मध्यान्ह भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई कार्यक्रम में सभी बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोए गये। लगातार अभियान से निरंतर हाथ धुलाई की आदतों में परिवर्तन आया तथा व्यवस्था तंत्र का निर्माण हुआ। **माताओं और बच्चों की भागीदारी** : बच्चों के स्वच्छता के व्यवहारों में माताओं का बड़ा योगदान होता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत माताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा साबुन से हाथ धुलाई को बच्चों एवं परिवारों में धारणीय रखने के उद्देश्य से माताओं को रोजाना बच्चों द्वारा की गई महत्वपूर्ण समय पर हाथ धुलाई डायरी के संधारण की जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम से कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्षेत्रों में साबुन से हाथ धुलाई के लिए माताओं एवं बच्चों में धनात्मक प्रभाव देखने में आया है। कार्यक्रम वाले ग्रामों में 94 प्रतिशत महिलाओं में साबुन से हाथ धुलाई के महत्व को बताया है तथा 86 प्रतिशत बच्चों द्वारा साबुन के हाथ धुलाई के महत्वपूर्ण समय के बारे में ज्ञान पाया गया है।

● **नागेश्वर पाटीदार**

बन गई सारी बात

आओ भाई आओ एक बात बताएं हम,
भोजन से पहले हाथ धोएं हम।
साबुन से हाथ धोकर कीटाणुओं को मिटाएंगे,
स्वच्छता की आदत अपनाकर रोगों को दूर भगाएंगे।।
याद सदा रखना यह बात भोजन से पहले धोना हाथ।
स्वस्थ रहोगे तभी पढ़ोगे, तभी बढ़ोगे
और कहोगे बन गई सारी अपनी बात,
बन गई सारी अपनी बात।।

डॉ. स्वाति श्रीवास्तव

हेल्प अ चाइल्ड रीच फाईव

साबुन से हाथ धुलाई के लिए कार्पोरेट जगत ने बढ़ाये सहयोग के हाथ

स्वच्छता और सफाई के अभाव में दुनिया भर में कई लाख बच्चे बीमारियों का सामना करते हैं। इनमें से कई बीमारियां जानलेवा होती हैं। इन बीमारियों में खासतौर पर डायरिया का प्रभाव ज्यादा पाया जाता है। हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड ने मध्यप्रदेश के जिला पंचायत छिंदवाड़ा के सहयोग से हेल्प अ चाइल्ड रीच फाईव इस अभिनव की शुरुआत जिले के परासिया जनपद के 6 गांवों में वर्ष 2013 में की है। साबुन से हाथ धोने की आदत को लोगों द्वारा अपनाने तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियों को कम कराने के उद्देश्य से शुरू किये गये इस उपक्रम को हेल्प अ चाइल्ड रीच फाईव का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री काजोल द्वारा विशेष सहयोग किया जा रहा है एवं एन.डी. टी.वी. एवं सोनी टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति' के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार मिला है।

स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में 'पांच की पाठशाला' कार्यक्रम के तहत साबुन का इस्तेमाल बस पाँच बार इस नारे को अपनाया गया है। इन पांच अवसरों को बच्चों के खास पाँच दोस्तों से जोड़ा गया है ये दोस्त हैं - धम, ढिशुम, धमाका, भालू और तारा जो हर खास मौके पर साबुन से हाथ धोने की याद दिलाते हैं खासतौर पर शौच के बाद व मध्यान्ह भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों एवं नवजात शिशुओं की माताओं के साथ बैठकर तथा उनके साथ चर्चा कर साबुन से हाथ धोने का तरीका एवं उसके फायदों के बारे में बताया जाता है। माताओं को खास तौर पर शिशु को छूने से पहले, खाना खिलाते समय, खाना बनाते समय, खाना परोसने से पहले इत्यादि अवसरों पर हाथ धोने की आदत को बनाये रखने का अनुरोध किया जाता है।

स्वच्छता के व्यवहार में बदलाव लाने हेतु सफाई के ऊपर फिल्म दिखाकर, पोस्टर, फ्लिपचार्ट, स्टीकर्स, डांस, आदि के द्वारा हाथ धोने के तरीकों को रोचक बनाया गया। प्रेरकों की टीम हर रोज एक गांव में भेंट करती तथा गांव के लोगों से चर्चाकर उन्हें साबुन से हाथ धोने के तरीकों एवं उसके फायदों के बारे में बताते हैं।

परासिया जनपद पंचायत के 6 गांवों में 600 से ज्यादा स्कूली बच्चों, 180 आंगनवाड़ी बच्चों, 325 पांच साल से कम उम्र के बच्चों की माताएं एवं 25 से ज्यादा नवजात शिशुओं की माताओं को लाभ मिला है।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु

- घरों में हाथ धुलाई के लिए टिपीटाप (स्थानीय सामग्री से बना हाथ धुलाई यंत्र) बनाए गये हैं एवं उसका इस्तेमाल हो रहा है।
- माताएं घरों में साबुन से ही हाथ सफाई कर रही हैं।
- स्कूली बच्चों में साबुन से हाथ धोना आदत बन गयी है।

● सुधीर कृषक

शिवपुरी

फिट फॉर स्कूल कैम्पैन

शिक्षा और स्वास्थ्य एक साथ चलते है। ऐसे बच्चे जो स्वस्थ होंगे वही बच्चे फिट फॉर स्कूल अर्थात् शाला के लिये उपयुक्त होते हैं। सर्वेक्षण से यह तथ्य उभरकर आया है कि प्रति दिन बहुत से बच्चे बीमार हो जाते हैं और इसके कारण उनका शरीर और मन दोनों प्रभावित होता है जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है। हाथों को समय-समय पर साफ न करने से कीटाणु व जीवाणु उनके मुंह के माध्यम से पेट में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि डायरिया, पेट में दर्द, चर्म रोग, निमोनिया आदि बीमारी का कारण बनते हैं। बच्चे इन कीटाणुओं व जीवाणुओं के शिकार हो जाते हैं। और जब बच्चे बीमार होते हैं, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रणाली उसे शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं कर सकती।

यूनीसेफ द्वारा यह प्रयास लगातार किया जा रहा है, कि बच्चों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता कैसे आए एवं उनमें स्वच्छता के सम्बंध में व्यवहार परिवर्तन उनकी दिनचर्या में कैसे शुमार हो। विश्व में प्रति वर्ष लगभग एक लाख बच्चों की मृत्यु स्वच्छता के मानदण्डों का पालन न करने से, जिसमें हाथ धोकर खाना न खाना भी एक कारण है। संपूर्ण स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूकता लाई जाय ऐसी सोच के साथ शिवपुरी जिले के 50 स्कूलों में फिट फॉर स्कूल कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ धुलाई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यूनीसेफ के सामूहिक प्रयासों से शिवपुरी जिले के 50 स्कूलों का चयन किया गया जिनमें बच्चों में हाथ-धुलाई कार्यक्रम 100 दिन तक चलाने का निर्णय लिया गया। चयनित 50 स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को भी शामिल किया गया है। यूनीसेफ के माध्यम से शाला में मध्यान्ह भोजन के पूर्व 'हाथ-धुलाई' करवाने, साथ ही साथ सभी बच्चों में शौच के बाद हाथ साबुन से धोने और शौच के लिए हमेशा शौचालय का उपयोग करने के लिए जागरूकता पैदा की गई जिससे बच्चों में साफ-सफाई के प्रति समझ व सजगता बढ़े और उनमें व्यवहार परिवर्तन हो। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उन 50 चयनित स्कूलों का बेसलाइन सर्वे किया गया। बेस लाइन सर्वे द्वारा अध्ययन किया गया कि जल एवं स्वच्छता स्थापित करने हेतु क्या-क्या कार्य करना आवश्यक होंगे। इसके पश्चात एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया। संबंधित ग्राम के सरपंच और सचिव के साथ मिलकर प्रत्येक स्कूल में हाथ धुलाई इकाई का निर्माण करवाया गया। इसके साथ-साथ जिन स्कूलों में पानी की उपलब्धता नहीं थी उन स्कूलों में पानी उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की गयी। साथ ही सभी शौचालय में भी पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गयी।

कार्यक्रम की सफलता के लिए 'बाल संसद' और 'शाला प्रबंधन समिति' को 'एक्टिव' किया गया। बाल संसद के बच्चों को बताया गया कि नियमित रूप से भोजन से पहले पानी साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? साथ ही हाथ धुलाई यूनिट में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, बच्चों को शौचालय और मूत्रालय का उपयोग करने, उपयोग के बाद पानी डालने और साबुन से हाथ धोने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। सभी स्कूलों में साबुन शाला में उपलब्ध कराये गये। समय-समय पर सरपंच द्वारा भी स्वच्छता के लिए सहयोग प्रदान किया गया। शौचालय एवं शाला प्रांगण की नियमित सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। बच्चों द्वारा भी समय-समय पर साफ-सफाई की जाने लगी और इन क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों में व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया गया। हर स्कूल में 100 दिन हाथ-धुलाई कैलेण्डर तैयार किया जाकर शाला को उपलब्ध कराया गया और स्वच्छता संबंधी तथा साबुन से हाथ नहीं धोने से होने वाली बीमारियों से संबंधित पोस्टर शाला में चस्पा किये गये हैं ताकि बच्चे उसे पढ़ व समझ कर हाथ धोने की प्रक्रिया अपना सकें।

● नागेश्वर पाटीदार

शालाओं को मिलेगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

शालेय स्वच्छता अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में निर्मल भारत अभियान के संयोजन से स्वच्छ विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ शालेय स्वच्छता अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा सहजरूप से आवंटित कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है, उन विद्यालयों को विकास खण्ड एवं जिला स्तर से पुरस्कृत करने का प्रावधान निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है-

- विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में स्वच्छता के व्यवहारों को अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय में छात्र अनुकूल योग्य स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- मध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोने की आदतों का विकास कर विद्यालय में साबुन तथा पानी सदैव उपलब्ध कराना।
- स्वच्छता सुविधाओं का उचित रखरखाव करते हुए उन्हें सदैव स्वच्छ एवं उपयोग योग्य बनाए रखना।
- शाला परिसर को सदैव स्वच्छ एवं आकर्षक बनाए रखना।

बाल केबिनेट के प्रयास से मिला

निर्मल विद्यालय पुरस्कार

उज्जैन जिले का दताना मिडिल स्कूल निर्मल विद्यालय पुरस्कार विजेता है। यह पुरस्कार प्राप्त करना भी इस विद्यालय की अनेक शानदार उपलब्धियों में से एक है। शाला के प्रधानाध्यापक श्री दत्तात्रय निमजे एवं उनके सहयोगी साथियों की शाला में स्वच्छता सुविधाओं को उपयोग में लाए जाने एवं निर्धारित पैरामीटर के मान से रख-रखाव करने में भूमिका सराहनीय है।

इस शाला का अपना निजी भवन है जिसमें सात कक्ष हैं। बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक साफ सुधरे शौचालय हैं जो 24 घंटे पानी की सुविधा के लिए शाला में बोर वेल है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, दताना शाखा ने शाला को वाटर फिल्टर प्रदान किया है। शाला में एक पुस्तकालय भी है जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अनेक विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

शाला के शिक्षक अपने अनुभव साझा करते हैं कि बच्चों में नेतृत्व गुणों को विकसित करने से आज शाला में स्वच्छता एवं क्रियाशील वॉश सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं बाल परिषद के प्रधानमंत्री शारुख और कु. सरिता प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बताते हैं कि हमारे शिक्षकों के मार्गदर्शन में हमारी शाला स्वच्छ और हरी-भरी है जहां वाटर प्यूरीफायर, रनिंग वाटर (हर समय नलों में उपलब्ध पानी) और क्रियाशील शौचालय जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं।

प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में बाल परिषद के मंत्री व्यक्तिगत स्वच्छता- सभी बच्चों के नाखून कटे हों, सुन्दर कढ़े हुए बाल एवं साफ-सुथरी पोशाक की जांच करते हैं। ये मध्यान्ह भोजन से पूर्व सभी बच्चों के हाथ धुलाना भी सुनिश्चित करते हैं। बाल अधिकार आयोग द्वारा इस शाला को अच्छे कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है एवं मान्यता दी गई है। ब्रिटिश काउंसिल के सदस्यों ने अपने दल के साथ शाला भ्रमण किया एवं बच्चों की धाराप्रवाह अंग्रेजी की सराहना की। विद्यालय द्वारा शालेय स्वच्छता अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य किया है। बाल केबिनेट की सक्रिय सहभागिता एवं शाला शिक्षकों के अभिनव प्रयास से इस शाला को उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा निर्मल विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि अन्य शालाओं हेतु एक अनुकरणीय उदाहरण है।

● पराग मेण्डके

छब्बीस जनवरी 2013 माध्यमिक विद्यालय ग्राम-बोरदिया, जनपद पंचायत-जावद, जिला-नीमच के छात्रों, शिक्षकों एवं ग्रामवासियों के लिए गौरव एवं उल्लास लेकर आया। कारण था विद्यालय को जिला स्तर पर स्वच्छता के आयामों को संधारण के लिए निर्मल विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माध्यमिक विद्यालय बोरदिया, स्वच्छ एवं स्वस्थ सीखने के वातावरण की एक मिसाल के रूप में सामने आया है। इस विद्यालय में कुल 291 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें से 184 विद्यार्थी माध्यमिक तथा 107 विद्यार्थी हाईस्कूल के छात्र-छात्राएं हैं। इस विद्यालय में स्वच्छता के वातावरण के निर्माण में छात्रों एवं शिक्षकों ने ही नहीं बल्कि समुदाय के लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया है।

समुदाय के सहयोग से विद्यालय में कई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का नियोजन किया है जैसे बालक बालिकाओं के लिए स्वच्छ एवं पानी की उपलब्धता वाले उपयोगी शौचालय, शुद्ध पेयजल, नियमित स्वच्छता की शिक्षा, पेड़ पौधों से हरा-भरा वातावरण तथा नियमित स्वच्छता शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच तथा बाल केबिनेट के सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा स्वच्छता का नियमित अनुश्रवण। सभी बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था स्वच्छता शिक्षक श्री गोपाल पाटीदार एवं विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लगातार स्वच्छता को बरकरार रखने तथा बेहतर सीखने का माहौल बनाने पर कार्य किया जाता है। जनपद पंचायत द्वारा अपने प्रयासों से विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य सुविधाओं जैसे खेल का मैदान आदि के निर्माण में समुदाय एवं शासकीय मदद दिलवाई है। इस विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी पर्वों को मनाने के साथ-साथ आधुनिक कम्प्यूटर की शिक्षा भी समुचित व्यवस्था की गई है।

यह विद्यालय अपने अनुठे प्रयासों से अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत के रुप में आगे आया है।

● **सुशील दौराया**

बच्चों की सहभागिता का उजास

निर्मल विद्यालय पुरस्कार

सीख-समझाईश और संवाद

खुले में शौच एक प्रवृत्ति है, इसे बदलने के लिए सोच में परिवर्तन लाना होगा। सोच में परिवर्तन और व्यवहार में स्वीकार्यता के लिए जरूरी है प्रभावी सीख-समझाईश और प्रेरणा की। लोगों को प्रेरित करने, मर्यादा की रक्षा का संदेश आत्मसात करने के लिए संचार एक उपयुक्त माध्यम है। यह व्यक्तिगत, समूह या सम्पूर्ण समाज में एक साथ सभी स्वरूपों में संभव है। इसके लिए निर्मल भारत अभियान के तहत प्रचार-प्रसार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों को 'खुले में शौच मुक्त' करने और स्वच्छ ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए संचार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रचार-प्रसार के लिये जिलों को निर्मल भारत अभियान अंतर्गत प्राप्त राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का उपयोग प्रचार-प्रसार तथा प्रशिक्षण गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।

क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण - प्रत्येक ग्रामों में स्वच्छता दूतों को नियुक्त करना जो घरों में जाकर लगातार संपर्क और चर्चा करें तथा लोगों को शौचालय निर्माण तथा उपयोग के लिए प्रेरित करें। साथ ही विभिन्न समुदाय जागृति कार्यक्रम और बैठकों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

मर्यादा अभियान अंतर्गत समुदाय स्वच्छता सुविधाओं की मांग बढ़ाने तथा स्वच्छता की आदतों को अपनाने के लिये परिवारों में गृहभेंट, अंतर्वैयक्तिक संचार को महत्व दिया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता और शिक्षक, स्वच्छता दूत आदि द्वारा समूह बनाकर गृह संपर्क किया जाकर लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने के प्रयास किये गये।

प्रस्तावित सूचना शिक्षा तथा संचार गतिविधियाँ केवल निर्माण के पूर्व जागरूकता उत्पन्न करने अथवा समुदाय को जानकारी देने तक ही सीमित न होकर उपयोग के पश्चात रख-रखाव की व्यवस्था के साथ धारणीय बनाने तक हैं। ग्राम स्तर पर 3 चरणों में सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है -

चरण 1 - जागरूकता एवं स्वच्छता सुविधा निर्माण पूर्व सूचना शिक्षा संचार।

चरण 2 - स्वच्छता सुविधा निर्माण के दौरान सूचना, शिक्षा, संचार।

चरण 3 - स्वच्छता सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये और रखरखाव के लिये सूचना, शिक्षा, संचार।

पंचायत विशेष में सूचना शिक्षा एवं

से परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम

संचार गतिविधियाँ प्रारंभ करने के साथ ही उपयुक्त वितरण प्रणाली द्वारा प्रदाय सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संचार गतिविधियों के माध्यम से समुदाय द्वारा जनित स्वच्छता सुविधा की मांग को समय पर पूर्ण कर समुदाय में प्रेरणा का स्तर और कार्यक्रम के प्रति विश्वसनीयता कायम रखने का प्रयास। युवा संगठनों, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा भारत स्काउट्स एवं गाईड्स जैसे संगठनों का सहयोग प्रचार-प्रसार के लिए लिया जाना जिससे शाला स्वच्छता कार्यक्रम को गति मिलने के साथ शालाओं के बच्चों का सहयोग लेकर गांव में मर्यादा अभियान के लिए जागृति पैदा करना संभव है।

प्रत्येक मर्यादा अभियान अंतर्गत ग्राम के लिए विकासखण्ड स्तर से एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति जो पंचायत समन्वयक अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उपयंत्री आदि हो सकता है जो ग्राम स्तर पर लगातार अनुश्रवण करने के साथ संचार गतिविधियों तथा अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। ग्राम में स्वच्छता कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्राम के सक्रिय लोगों का दल बनाकर (जिसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी हो) कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं निगरानी करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ग्राम स्तर पर निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व, निर्माण के दौरान तथा निर्माण पूर्ण होने के बाद निम्नानुसार संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं-

- ग्रामीण समुदाय का उन्मुखीकरण, ट्रिगर, खुले में शौच बंदी पर सामुदायिक निर्णय एवं निगरानी समिति का गठन।
- महिला और किशोरी समूहों की सामुदायिक बैठक तथा साप्ताहिक बैठकों का आयोजन।
- ग्राम में पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति तथा स्वच्छता दूत की मर्यादा अभियान कार्ययोजना पर बैठक, विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी और कार्यों का विभाजन एवं लगातार अनुश्रवण।
- फिल्म तथा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन और चर्चा।
- शालाओं में स्वच्छता बाल केबिनेट का गठन। शाला में स्वच्छता केबिनेट के सदस्यों के नाम तथा कार्यों का दीवार लेखन। शालाओं और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता शिक्षा एवं स्वच्छता सूत्रों का पालन।
- ग्राम पंचायत द्वारा खुले में शौच प्रतिबंधित करने के लिए शौचालय का निर्माण तथा ग्रामीणजनों से मर्यादा अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए अपील जारी करना।
- किशोरी समूह, स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति, राय निर्माताओं, पंचों और मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा शौचालय रहित परिवारों में ग्राम संम्पर्क अभियान तथा समझाइश।
- ग्रामों में मर्यादा अभियान के घटक तथा खुले में शौच प्रतिबंधित करने का होर्डिंग स्थापित करना।
- जनप्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं द्वारा ग्राम में भ्रमण तथा स्वच्छता सभाओं का आयोजन तथा ग्रामीणजनों से शपथ ग्रहण कराना।
- खुले में शौच बंदी, स्वच्छता नियम, प्रोत्साहित करने के लिए दीवार लेखन।
- गांव के खुले में शौच से मुक्त होने पर समारोह का आयोजन और स्वच्छता सामाजिक अंकेक्षण।
- अभियान अंतर्गत प्रगति की समीक्षा और अनुश्रवण के लिए ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की मासिक बैठक का आयोजन।

● अजीत तिवारी

स्वच्छता दूत से निर्मल ग्राम निर्माण

निर्मल भारत अभियान समुदाय-संचालित और आम लोगों के प्रति केंद्रित माँग आधारित महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य आम लोगों, स्कूलों, आँगनवाड़ियों और पिछड़े या वंचित समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। गाँव स्तर पर स्वच्छता संचार के प्रवाह को मजबूती देने के लिए, सहभागी सामाजिक गतिशीलता और गाँव स्तर पर हर गाँव में स्वच्छता दूत की नियुक्ति की जा रही है। हर ग्राम पंचायत में प्रति 150 परिवार पर एक स्वच्छता दूत नियुक्त किया जाएगा। मध्यप्रदेश के 'सेनिटेशन हाईजिन एडवोकेसी कम्यूनिकेशन' रणनीति के मुताबिक, 'खुले में शौच' की प्रथा को समाप्त करने के कार्यक्रम को तीव्र गति से चलाने के लिए मैदानी स्वच्छता कार्यकर्ताओं के केडर को क्षमता वृद्धि के माध्यम से तैयार करना एक महत्वपूर्ण कदम है।

"ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार की गतिविधियों के संचालन तथा परिवारों में गृहभेंट कर समुदाय में स्वच्छता व्यवहारों जैसे - पारिवारिक शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, मुख्य अवसर पर साबुन से हाथ धुलाई, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल का उपयोग और कूड़े-कचरे और गंदे पानी के उचित निपटान आदि में बदलाव हो सके, इसके लिए स्वच्छता दूत प्रयासरत हैं।"

इन मैदानी स्वच्छता कार्यकर्ताओं, (स्वच्छता दूतों) का प्राथमिक लक्ष्य बसाहटों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक स्व-आकलन और गतिशीलता के जरिए सामूहिकता के साथ व्यवहार में बदलाव लाने में सहयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य 'खुले में शौच' को पूरी तरह समाप्त करना। स्वच्छता दूत एक मानसेवी, अवैतनिक है। इस कार्य के लिए स्वच्छता दूतों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वच्छता दूतों का उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय सामाजिक सेवा करना है।

स्वच्छता दूतों का चयन

निर्मल भारत अभियान (मर्यादा अभियान) में वर्ष 2013-14 में चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार की गतिविधियों के संचालन तथा परिवारों में गृहभेंट कर समुदाय में स्वच्छता व्यवहारों जैसे- पारिवारिक शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, मुख्य अवसर पर साबुन से हाथ धुलाई, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल का उपयोग और कूड़े-कचरे और गंदे पानी के उचित निपटान आदि में बदलाव हो सके, इसके लिए स्वच्छता दूतों का चयन किया।

स्वच्छता दूत के लिए आवश्यक -

- प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रति 150 परिवारों पर एक स्वच्छता दूत का चयन किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर कुल स्वच्छता दूतों में से 50 प्रतिशत महिलाएँ आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाली बसाहटों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही स्वच्छता दूतों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।
- स्वच्छता दूत की न्यूनतम शैक्षणिक

योग्यता 8वीं होनी चाहिए।

- यदि किसी आवेदक के द्वारा अथवा समुदाय को खुले में शौच मुक्त करने में विशिष्ट भूमिका निभाई हो और उसकी शैक्षणिक योग्यता यदि कम भी है तो भी स्वच्छता दूत के लिए प्राथमिकता है। खुले में शौच मुक्त किए गये ग्राम में आवेदक की भूमिका के बारे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक होगा।
- स्वच्छता दूत उसी ग्राम अथवा ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।
- स्वच्छता दूत के पास शौचालय की उपलब्धता हो तथा वह और उसके परिवार के सदस्य शौचालय का प्रयोग करते हो। परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच को नहीं जाता हो।
- स्वच्छता दूत को स्थानीय भाषा की जानकारी और स्वच्छता के लिए वाक्पटुता हो।
- स्वच्छता दूत पहले से किसी अन्य पद पर कार्य न कर रहा हो जैसे - शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मेट, रोजगार सहायक। स्वच्छता दूत केवल स्वच्छता के क्षेत्र में मैदानी कार्यकर्ता के विशेष रूप से प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगा। परन्तु स्वच्छता दूत को अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं एवं शासकीय कार्यक्रमों के समन्वय से कार्य करना होगा।
- स्वच्छता दूत का पारिवारिक शौचालय निर्माण के आधारभूत तकनीकी पहलुओं से परिचित होना चाहिए।
- ऐसे कारीगर, राजमिस्त्री जो पारिवारिक शौचालय निर्माण में प्रशिक्षित हैं उन्हें भी स्वच्छता दूत के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
- स्वच्छता दूत बनने के इच्छुक व्यक्ति जिनका संचार कौशल प्रभावी हो, ग्राम पंचायत में अच्छी साख और मान रखते हों, किसी राजनैतिक पार्टी का कार्यकर्ता न हो तथा अच्छा नेतृत्व कौशल हो उन्हें प्राथमिकता होगी।

- स्वच्छता दूत को खुले में शौच करने एवं गंदगी से होने वाली बीमारियों का ज्ञान होना अनिवार्य है।

स्वच्छता दूत के कार्य

संचार - परिवारों में अंतर्वैयक्तिक (परस्पर) संचार के माध्यम से स्वच्छता व्यवहारों में बदलाव लाना। समुदाय-संचालित पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) के सिद्धांतों के आधार पर समुदाय में सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में सामुदायिक बैठकों, व्यक्तिगत तौर पर परिवारों से संपर्क, अन्य संचार गतिविधियों के आयोजन के जरिए सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करना। स्कूली बच्चों में स्वच्छता व्यवहार से जुड़े बदलाव लाने के लिए स्कूलों और आँगनवाड़ी के बच्चों में जागरूकता लाना। स्वच्छता दूत मंगल दिवस एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान उपस्थित रहकर समुदाय के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे। गाँव में रैली निकालना। बच्चों को घर-घर भेजकर स्वच्छता पर समूह चर्चा कराना आदि भी इनके कार्यों में शामिल है। खुले शौच की प्रथा बंद करना एवं शुष्क शौचालय (ड्राय लैट्रिन) का उपयोग बन्द करवाना- ग्राम में खुले में मल त्याग करने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना तथा ग्राम में उपस्थित शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करवाकर ग्राम से 'सर पर मैला ढोने' की प्रथा को समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। यदि ग्राम में सर पर मैला ढोने की प्रथा व्याप्त पाई गई तो स्वच्छता दूत की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

समन्वय- विभिन्न पक्षों से समन्वय बनाना। इसमें ग्रामीण परिवार, समुदाय, पंचायत सदस्य, आशा, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्व-सहायता समूह, विकासखंड समन्वयक, पंचायत समन्वय अधिकारी (पीसीओ), एडिशनल एक्सटेंशन डेवलपमेंट ऑफिसर (एडीईओ), बाल केबिनेट के सदस्य, स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्य, पंचायत पदाधिकारी और अन्य प्रमुख पक्षों से समन्वय करना।

अनुश्रवण- गांव स्तर पर निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत कार्यों की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी अद्यतन करना तथा निगरानी तंत्र को मजबूत और बेहतर बनाने में सहयोग करना।

धारणीयता- स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में गुणवत्ता नियंत्रण के जरिए स्वच्छता सुनिश्चित करना। साथ ही मिस्त्रियों की एक टीम तैयार करना।

● नागेश्वर पाटीदार

स्वच्छता के लिए अनूठा प्रयास

जिला अनुपपुर में ग्राम पसला, जनपद-जैतहरी से स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिस्त्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया जिसके कारण पूरे जिले में स्वच्छता की लहर दौड़ पड़ी। ग्राम पंचायत पसला में 700 परिवार निवास करते हैं। पहले मात्र 35 परिवारों में ही शौचालय उपलब्ध थे। शौचालय निर्माण का एक बड़ा लक्ष्य सामने गाँव को खुले में शौचमुक्त करने के लिए। लक्ष्य को पूरा करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा एक रणनीति के साथ मिस्त्री नम्बर एक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई। इसके द्वारा मिस्त्री, स्वच्छता दूतों एवं हितग्राहियों के दल बनाए गए। पहले प्रशिक्षित किया गया फिर गुणवत्तापूर्ण तथा तीव्र गति से शौचालय निर्माण पर प्रतिस्पर्धा आयोजित की गयी। प्रत्येक दल में एक मिस्त्री, एक स्वच्छता दूत और हितग्राही को रखा गया। इस प्रतियोगिता में हितग्राहियों को शामिल करने से उनकी भागीदारी के साथ-साथ शौचालय उपयोग एवं स्वच्छता व्यवहारों के लिए जागृति आई तथा यह अभियान न केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था तथा ग्राम के लिए जन जागृति गतिविधियों जैसे ग्राम चौपाल, विभागों के शिविर, दीवार लेखन, नारे, रैली, रागी, स्वच्छता फिल्म का प्रदर्शन, स्वच्छता पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्र-छात्राओं के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन सबसे महिलाओं और बच्चियों में स्वच्छता की आदतों में तत्काल प्रभाव दिखा।

इसके साथ ही ग्राम में स्वास्थ्य शिविर और समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किया गया जिससे ग्राम स्तर की कई समस्याओं जैसे बैंक से संबंधित, विद्युत कनेक्शन से संबंधित, गोबर के उचित निपटान के लिए नाडेप तथा बायोगैस संयंत्र बनाये जाने पर जानकारी दी गयी। इसके अलावा युवाओं के लिए आजीविका मार्गदर्शन शिविरों का भी आयोजन किया गया। यह अभियान न केवल शौचालय निर्माण का अभियान बना बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका तथा कृषि संबंधी समस्याओं को समन्वित रूप से सुलझाने का भी प्रभावी अभियान बन कर सामने आया।

ग्राम पसला की मिस्त्री नम्बर एक प्रतिस्पर्धा एक मॉडल के रूप में अन्य ग्रामों के लिए उभर कर सामने आयी है।

● **रामनरेश शर्मा**

बुधनी जनपद

खुले में शौच की प्रथा से मुक्त

सीहोर जिले के बुधनी विकासखण्ड में ग्रामों को 'खुले में शौच की प्रथा' से मुक्त करने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है और समुदाय के नेतृत्व तथा जनपद पंचायत के कार्यकर्ताओं के अभिनव प्रयास से बुधनी जनपद पंचायत के 52 ग्राम पंचायतों के 129 ग्राम कुछ ही समय में पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इस सफलता के लिए समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता पद्धति का उपयोग किया गया।

ऐसे किया अभियान पर चरणबद्ध तरीके से कार्य

प्रथम चरण- पंचायतराज पदाधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें कार्यक्रम की रणनीति के बारे में समझाया गया साथ ही उन्हें समुदाय में जागृति के लिए तैयार किया गया साथ ही तीसरा उद्देश्य था उनकी अपनी भूमिका की सौच में बदलाव। सेवादाता की भूमिका की बजाए उन्हें सहयोगी और सुगमकर्ता की भूमिका में रखा गया।

दूसरा चरण - इसके बाद प्रशिक्षित प्रेरकों द्वारा ग्रामों में मुख्य जानकारियां एकत्रित के लिए भ्रमण किया गया जैसे ग्राम की स्वच्छता की स्थिति, लोग मल त्याग करने कौन से स्थानों पर जाते हैं इत्यादि साथ ही ग्राम में प्रेरित करने की तिथि समय भी तय किया गया।

तीसरा चरण - प्रशिक्षित प्रेरकों द्वारा ग्राम में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता पद्धति के कुछ तरीके जैसे 'खुले में शौच के क्षेत्र का भ्रमण', 'मल की गणना' का प्रयोग कर लोगों को मल से मुंह तक की यात्रा के बारे में बताया गया, इस प्रक्रिया में ग्राम के ज्यादातर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा 'खुले में शौच बंद करने' का निर्णय लेने के लिए तैयार किया। जब समुदाय तैयार हो गया तो एक सामुदायिक बैठक में इस अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा की गई साथ ही ग्राम के 10 से 12 लोगों की अनुश्रवण समिति का गठन भी किया गया।

चौथा चरण- अनुश्रवण समिति के साथ ग्राम की कार्ययोजना को तैयार किया गया तथा सभी की जिम्मेदारी तय की गई तथा साथ ही लोगों को अपनी हैसियत तथा जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत शौचालय को चुनने में मदद की गई जिसके अनुसार लोगों ने अपने घरों में शौचालय का निर्माण किया।

पाँचवां चरण- शालाओं तथा आँगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाओं को यूनिसेफ के सहयोग से बेहतर बनाया गया साथ ही उनको रोचक एवं ज्ञानवर्धक रूप देने के लिए स्वच्छता संबंधी जानकारियों, कार्टून, नारे इत्यादि भी पेंट कराए गए और बच्चों में स्वच्छता हेतु जागरूकता पैदा की गई।

छठा चरण- अंत में ग्राम जब खुले में शौच से मुक्त हो गया तो सभी ग्रामों में समारोह का आयोजन किया गया जिसमें स्वच्छता संबंधी नियम बनाए गए साथ ही निर्मल भारत अभियान में प्रावधानित प्रोत्साहन राशि भी पात्र हितग्राहियों को प्रदान की गई।

अभियान हेतु सशक्त मानीटरिंग तंत्र का उपयोग किया गया और आधुनिक समय की तकनीक जैसे गूगल अर्थ का प्रयोग भी किया गया जिससे लगातार ग्रामों की प्रगति पर नज़र रखी गई। इस प्रकार समुदाय के नेतृत्व एवं प्रभावी रणनीति के माध्यम से जनपद पंचायत बुधनी के सभी ग्राम 'खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति' के इस अभियान में अग्रसर हैं।

● **अजीत तिवारी**

पर्यावरणीय स्वच्छता

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

मध्यप्रदेश में निर्मल भारत अभियान अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंध के कार्य चरणबद्ध तरीके से किये जायेंगे। प्रथमतः 10 हजार से अधिक आबादी वाली 31 ग्राम-पंचायतों में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य सघन आबादी होने से विशेषज्ञों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किया गया है। राज्य के 18 जिलों की चयनित 31 ग्राम-पंचायत में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से यह कार्यक्रम सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जायेगा। गाँव की बेहतरी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण कार्य में गाँव के सभी लोगों का योगदान भी अति आवश्यक है।

चयनित ग्राम-पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में समुदाय में जन-जागृति के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार मुहिम भी शीघ्र शुरू कर दी गयी है। इस बारे में ग्रामीण समुदाय संचालनकर्ताओं को भी व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन में अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी एजेंसी तथा फर्मों की भागीदारी भी होगी।

दस हजार से अधिक आबादी वाली इन पंचायतों के द्वारा विशेषज्ञों की सहायता से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य की शुरुआत

अधिक आबादी वाली जिन ग्राम-पंचायतों में शुरू होने जा रहा है। इनमें शहडोल जिले की ग्राम-पंचायत बकहो, अनूपपुर की बनगवाँ, देवहरा और डोला, सागर की रजाखेड़ी, मकरोनिया बुजुर्ग, ढाना और खिमलासा, ग्वालियर जिले की मोहना, टेकनपुर और डबरा, मुरैना की जौराखुर्द और रजौदा में, शिवपुरी की सिरसौद, झाबुआ की मेघनगर तथा जबलपुर जिले की खापा, बिलपुरा और हरदुली। राजगढ़ जिले की ग्राम-पंचायत कुरावर, खण्डवा की नर्मदा नगर, छिन्दवाड़ा की चंदन गाँव, सिवनी की छपारा, होशंगाबाद की बनखेड़ी, बुरहानपुर की ऐमागिर्द, खरगोन जिले की धूलकोट और बड़वाह कस्बा, इंदौर जिले की बड़ा बांगरदा, पालदा और पोदरिया तथा मंदसौर जिले की भैंसोदा ग्राम-पंचायत।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्राम की पर्यावरणीय स्वच्छता- मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों और अन्य स्त्रोतों से प्रतिदिन ठोस और तरल रूप में काफी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से सहायता दी जा रही है। इसके अंतर्गत 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 7.00 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 12.00 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 15.00 लाख तथा 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। साथ ही मनरेगा से कन्वर्जेंस करके प्रति एक हजार जनसंख्या पर रुपये 5.00 लाख और प्राप्त होते हैं। इस वर्ष निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत जो ग्राम निर्मल ग्राम हो चुके हैं अथवा प्रस्तावित हैं ऐसे ग्रामों के लिए वर्ष 2013-14 में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना की गयी। अन्य ग्रामों में आगामी वर्षों में यह कार्य कराया जाएगा।

इस योजना में ठोस के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरा संग्रहण, परिवहन एवं छटाई कार्य करने के लिये शेड निर्माण और खाद के लिए गड्ढों का निर्माण किया जावेगा तथा तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये नालियों का

निर्माण, सोख्ता गड्ढों, आक्सीडेशन पॉण्ड आदि के निर्माण किये जायेंगे।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से गांव का पर्यावरण स्वच्छ और सुन्दर बनाया जा सकता है। स्वच्छ गांव होने से कई बीमारियां जो कि दूषित जल और अस्वच्छता के कारण पैदा होती हैं, की रोकथाम हो सकती है और स्वच्छ और स्वस्थ ग्राम में जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया जा सकता है।

दीवानगंज बना ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणाली विकसित करने में प्रदेश में प्रथम : रायसेन जिले के साँची जनपद अंतर्गत ग्राम दीवानगंज में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित निपटान तथा प्रबंधन के लिए ग्राम को गंदगी और कूड़े कचरे से निजात दिलाने के लिए घर-घर से कचरा एकत्रित करने 3 ट्रायसाईकिल द्वारा कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की गयी। घर एवं दुकानों में पृथक-पृथक डस्टबिन की व्यवस्था के साथ ही सफाई कार्य में लगे श्री आदित्य खरे, श्री उदित खरे, श्री श्याम, श्री ब्रजेश एवं सुश्री सविता खरे को यूनीफार्म, जूते, दस्ताने आदि उपलब्ध कराये गये। घर-घर से कचरा एकत्रित कर गाँव के बाहर शेड में कचरे में से प्लास्टिक, पॉलीथीन, काँच, लोहे के टुकड़े, टीन के डिब्बे एवं जैविक पदार्थ को पृथक-पृथक करने के बाद जैविक पदार्थ गोबर कूड़ा-करकट, पत्तियां, हरी-सब्जियों के अवशेष को कम्पोस्ट पिट में डालकर खाद तैयार करने का कार्य किया गया।

ग्राम के इस महत्वपूर्ण कार्य से प्रेरित होकर प्रत्येक ग्रामवासियों द्वारा स्वच्छता कर का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है जिससे पंचायत को प्रतिमाह रु. 10,000/- की आय प्राप्त होने के साथ-साथ ग्राम में स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण निर्मित हुआ है जिससे ग्रामवासी प्रसन्न हैं। इससे प्रतिमाह कार्य में लगे 5 व्यक्तियों को 3000/- रुपये प्रतिमाह की आय भी प्राप्त हो रही है।

• **सुदेश मालवीय**

आओ साफ करें अपना गाँव

घरों में, गाँवों में कूड़े-कचरे और गंदा पानी का निकलना तो होता ही है, परन्तु जब ये कचरा जहाँ-तहाँ बिखरा रहता है तो सारा पर्यावरण गंदा और दूषित होता है, परन्तु जब इस कूड़े-कचरे को व्यवस्थित कर दिया जाता है तो यह कचरा भी बहुमूल्य संपदा बन जाता है। ये सब कैसे हो सकता है इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट क्या होता है :-

हमारे घरों से प्रतिदिन काफी मात्रा में कचरा जैसे झूठन, रसोई घर से निकला कचरा जिसमें फल और सब्जियों के छिलके, बगीचों और खेतों का कचरा, गोबर, कागज और काँच के टुकड़े, प्लास्टिक की बेकार वस्तुएं, पॉलीथीन की थैलियां, बेकार कपड़े और धातुओं के टुकड़े आदि निकलता है। इसे हम जैविक एवं अजैविक कचरे में बांट सकते हैं।

जैविक कचरा - जैविक कचरा वो कचरा है जो सड़ जाता है और उससे उपयोगी खाद बनाया जा सकता है।

अजैविक कचरा- अजैविक कचरा वो कचड़ा है जो सड़ नहीं पाता और इसको रिसाईकल कर पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है।

हमारे घरों और गांवों में ठोस कचरे के अलावा तरल अपशिष्ट निकलता है जिसका ढंग से प्रबंधन नहीं हो तो वो कीचड़ और डबरों का रूप ले लेता है। यह अनेक बीमारियों और बदबू का कारण होता है। घरों का यह गंदा पानी हमारे रसोई घर से, बाथरूम से, कपड़े-बर्तन धोने से निकलता है और गांव के सार्वजनिक हैण्डपम्प के आस-पास पानी की निकासी न होने पर कीचड़ बन जाती है। नालियों के न होने पर या नालियों के अवरुद्ध होने पर गंदे पानी की समस्या खड़ी हो जाती है।

ग्राम के पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिये कूड़े कचरे और गंदे पानी का उचित प्रबंधन आवश्यक है। इस ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन के लिए निर्मल भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। कार्य योजना ग्रामवार तैयार की जा रही है।

सोच में बदलाव लाना है ....

भारत में स्वच्छता के पहलू पर समय के साथ गहराई से सोचा जा रहा है महत्व को स्वीकारा जा रहा है और जीवन शैली में शामिल किया जा रहा है। जीवन बचाने के लिए जीवन रक्षक घोल की तरह आज स्वस्थ रहने के लिए सफाई की दृष्टि से शौचालय को उसकी महत्ता को अभियान चलाकर, मिशन के रूप में हर स्तर पर स्वीकारा जा रहा है। वर्तमान परिवेश में 'खुले में शौच' से मुक्त होकर शौचालय घर में बनाने और उसे उपयोग में लाने पर महती जोर दिया जा रहा है। मुख्य दो रूप से स्वच्छता को स्वीकारा जाता है एक व्यक्तिगत स्वच्छता जो शरीर से जुड़ी होती है स्नान, साफ सफाई, नाखून, बाल शरीर इत्यादि, दूसरी होती है जमीनी, घर, गांव, गली या खेत रूपी खुला शौचालय ...

प्राचीन काल से ही भारत में खुले में शौच जाने की इंसानों की आदत बनी हुई है यह या तो सरल और सहज सुलभ है इसलिये या फिर अज्ञानता या जानकारी के अभाव में ज्ञान न होना, इसी कारण भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी 'खुले में शौच' की आदत को स्वीकारती है। परन्तु अब यह गंभीर समस्या बनती देखी जा रही है। अनेक बीमारियां इसकी जनक हैं। मल जल में मिलकर पूरी नदी को प्रदूषित कर रही है जिससे पूरा का पूरा गांव बीमारी की चपेट में आने लगा है। स्थाई रूप से, पीने का पानी प्रदूषित हो गया है। शौच की क्रिया तो व्यक्ति के जन्म के क्षण से आरंभ हो जाती है जो मृत्यु तक चलती है। फिर भी हम जीवन की इस अति महत्वपूर्ण आवश्यकता को नजर अंदाज करते चले आ रहे हैं।

समग्र स्वच्छता के सातों घटकों के संचालन के लिए सात भागीरथी प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें 'शौचालय' महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्तिगत सफाई और अतिमहत्वपूर्ण आवश्यकता के साथ। इस बुरी आदत को बदलने के लिये निर्मल भारत अभियान को मैदानी स्तर तक पहुंचाने के लिये, विभिन्न स्तरों पर शासकीय, गैर-शासकीय, संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम को महत्व दे रही है। कभी मैदानी स्तर पर गांव-गांव जाकर, घर-परिवार और व्यक्ति से संपर्क कर उसकी खुले में शौच करने की आदत में बदलाव लाने का प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से भी किया जा रहा है। प्रशिक्षणों के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता, व्यवहार एवं सोच में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास किया जाता है, प्रशिक्षण में, खुले में शौच जाने के प्रभाव, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, सफाई पर कैसे कीटाणु-जीवाणु-विषाणु का हमला होता है कैसे ये मल से व्यक्ति के भोजन में विभिन्न पथ से - हाथ से, पांव से, मक्खियों से, मवेशियों से हमारे घर अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं।

मध्यप्रदेश में प्रभावशाली प्रशिक्षण के माध्यम से, गांव में ले जाकर नाटकों के माध्यम से, वहां की व्यवस्था पर जो दिखाई देती है तथा व्यक्तियों की आदत जिसके द्वारा वे खुले में शौच जाकर क्या परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं और क्या परिणाम होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है वहीं चौपाल लगाकर पंचायत में ही समझाते हैं। 'क्षेत्रीय भ्रमण' कर समूहों के माध्यम से कैसे खुले में शौच न जाकर घर में ही शौचालय बनवा कर, गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है, इसे समझाया जाता है। घर में महिलाओं की सुरक्षा, परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। महिलाओं में जागरूकता में लाने हेतु, विभिन्न शासकीय और गैर-शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं इस तरह खुले में शौच की प्रथा को बंद करने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। मानसिक बदलाव लाने के लिए किस तरह मल जल में बहकर पीने के पानी को प्रदूषित करता है। शौच के उपरांत हाथों की सफाई कितनी जरूरी और कैसे की जाये प्रशिक्षण में प्रयोग कर, फिल्म या चित्र दिखाकर प्रयास करते हैं। फिल्मों के माध्यम से जल मल द्वारा जनित बीमारियों को, खराब स्वास्थ्य को, धनहानि को, असावधानी की कीमत क्या देनी होती है यह भी दिखाया जाता है। प्रशिक्षण में शर्मसार यात्रा, मल या यात्रा में बहु भी मुंह दिखाई में शौचालय लेगी कहती है। शौच के दौरान विभिन्न घटनाओं से शौचालय घर में बनाकर बचा जा सकता है। प्रशिक्षण के वे प्रभावशाली माध्यमों का प्रयोग कर जागरूक बनाते हैं और संकल्प कराते हैं।

ग्राम स्तर पर सामुदायिक पंचायत राज संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाकर स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से निरंतर स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करना।

● प्रीति गुप्ता